झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची

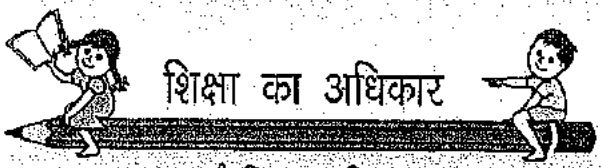

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य कार्यकारिणी समिति की 53वीं बैठक की कार्यवाही
(दिनांकः 25 मार्च, 2019)

राज्य परियोजना कार्यालय
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, जगन्नाथपुर, सेक्टर - 3, धुर्वा, राँची - 834004
फोन न.: 0651-2444502 फैक्स न.: 2444506
ई-मेलः jepcranchi1@gmail.com Website : www.jepc.nic.in

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

राज्य कार्यकारिणी समिति की 53वीं बैठक की कार्यवाही

समिति की बैठक में मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा बैठक की कार्यवाही के पूर्व समिति का ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकृष्ट किया गया :–

i) समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत पी.ए.बी. बजट/गतिविधि के विरूद्ध उपलब्धियों की समीक्षा नियमित एवं अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य कार्यकारिणी की बैठक में किया जाय ।

ii) गुणवत्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्/राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों/गतिविधियों का भी उल्लेख किया जाय । इस पर विशेष चर्चा एवं महत्त्व दिया जाय ।

iii) आगामी बैठक में परियोजना की उपलब्धियों से समिति को अवगत कराया जाय ।

iv) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा नियमित कार्य यथा निविदा प्रकाशन तथा स्थापित प्रक्रिया के तहत निष्पादन राज्य परियोजना निदेशक के स्तर पर किये जाने की स्थापित प्रक्रिया है । वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित है । इस पर राज्य कार्यकारिणी समिति में चर्चा/अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता है । यह राज्य कार्यकारिणी के निर्णय के अधीन नहीं है ।

v) भारत सरकार के प्रतिनिधि के बैठक में शामिल होने की पृच्छा की गई । राज्य परियोजना निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि भारत सरकार के प्रतिनिधि से विमर्श हुआ, वे इस बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं । उक्त के आलोक में निदेश दिया गया कि आगामी बैठकों के लिए भारत सरकार को 15 दिन पूर्व ऐजेण्डा सहित अनुरोध पत्र भेजा जाय । प्रयास किया जाय कि भारत सरकार का representation सुनिश्चित हो ।

vi) स्वतंत्र अध्ययन इत्यादि के प्रतिवेदन तथा सुधार के उपायों पर विशेष चर्चा की जाय ।

vii) असैनिक कार्यों के status पर विस्तृत सत्यापन, progress, पूर्णता इत्यादि पर विशेष चर्चा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रखी जाय ।

2. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति की 53वीं बैठक दिनांक 25 मार्च, 2019 को अपराह्न 3:30 बजे मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में मुख्य सचिव के सभागार में संपन्न हुई । राज्य परियोजना निदेशक–सह–सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष द्वारा की उपर्युक्त पृच्छा एवं कार्यावली बिन्दुओं की जानकारी मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति एवं उपस्थित सभी सदस्यों को दिया गया । बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची कार्यवाही के साथ अनुलग्नक–'क' पर संलग्न है । बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

3. मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा की गई उपर्युक्त पृच्छा के आलोक में राज्य परियोजना निदेशक–सह–सदस्य सचिव द्वारा बिन्दुवार निम्न जानकारी उपलब्ध कराई गई :–

i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत राशि एवं दिनांक 20.03.2019 तक व्यय की स्थिति

(Rs. in lakhs)

PAB Sanction Budget	Committed Share			Committed Fund Received				Exps.	% of Exps. Against fund available
	Central	State	Total	Central	State	Others (OB+Int.)	Total		
191812.05	73521.00	49015.00	122536.00	68596.00	44342.99	20995.20	133934.19	106206.57	79%

ii) गुणवत्त शिक्षा के क्षेत्र में निम्न कार्य किये गये हैं :–

- कक्षा 1 से 9 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की अधिगम प्रतिफल (Learning Outcomes) को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानसेतु कार्यक्रम SATH-E कार्यक्रम के साथ संचालित है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिन 21000 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के अधिगम प्रतिफल में वृद्धि परिलक्षित हो रही है ।

(272)

- बच्चों की गुणवत्त शिक्षा में वृद्धि करने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. से विज्ञान एवं गणित किट का उपयोग किया जा रहा है ।
- शिक्षकों को बच्चों के अधिगम प्रतिफल (Learning Outcomes) में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण दिये गये हैं ।
- ज्ञानसेतु के आधार पर बच्चों की अधिगम प्रतिफल (Learning Outcomes) का समय–समय पर जाँच किया जा रहा है जिसमें लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है ।
- बच्चों को पंख पत्रिका उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिससे बच्चों के सीखने की क्षमता में वृद्धि हो रही है ।
- सभी बच्चों को पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं दो सेट पोशाक, 1 स्वेटर एवं 1 सेट जूता मोजा के लिए बच्चों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भेजी जा रही है । साथ हीं साथ, स्वंय सहायता समूह द्वारा भी पोशाक उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में लगभग 6500 बच्चों का नामांकन कराया गया है ।
- राज्य के 16699 विद्यालय और 1828 पंचायत अबतक जीरो ड्रॉपआउट घोषित किये जा चुके है तथा कई अन्य प्रक्रियाधीन है ।
- सभी विद्यालयों में बेंच–डेस्क एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।
- साक्षरता दर 66.41 से बढ़कर 81.25 तक पहुँच गई है ।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के मामले में राज्य ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है ।
- झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् का अंकेक्षित लेखा प्रथम बार झारखण्ड विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किया गया ।

बैठक की अग्रेतर कार्रवाई निम्नवत् है :–

कार्यावली बिंदु संख्याः 01

1. 49वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 04 "**शैक्षणिक सत्र 2016–17 में मुद्रित / आपूरित कक्षा 3 की पाठ्य–पुस्तकों के मूल्य भुगतान**" के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि उक्त निर्णय के अनुपालन में कठिनाई हो रही है । मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष द्वारा उक्त के आलोक में निदेशित किया गया कि इसकी समीक्षा करते हुए प्रस्ताव विभाग के माध्यम से संचिका में उपस्थापित किया जाय ।
2. 49वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 14 "**M/s ACES Infotech Pvt. Ltd., Kolkata द्वारा कम्प्यूटर अनुदेशकों की सेवा प्रदान करने से संबंधित भुगतान के दावे के निष्पादन के लिए गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय की संपुष्टि**" के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निदेश दिया गया कि M/s ACES Infotech Pvt. Ltd., Kolkata से राशि वापसी हेतु विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में उनके विरूद्ध वाद दायर करने की कार्रवाई की जाय ।
3. 49वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 15 "**M/S Educomp Solutions Ltd., New Delhi द्वारा बुट मॉडल पर 187 के.जी.बी.भी. में संचालित कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित भुगतान के दावे के निष्पादन के लिए गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय की संपुष्टि**" के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा Arbitrator के निर्णय की समीक्षा कर कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया ।

4. 49वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 22 **"मे0 राजकमल प्रकाशन प्रा०लि०, नई दिल्ली को पुस्तकालय हेतु उपलब्ध करायी गई पुस्तकों के भुगतान"** के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपायुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया ।

5. 50वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 11 **"पारा शिक्षकों के वार्षिक मानदेय एवं नियमित भुगतान में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता"** के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निदेशित किया गया कि वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति की कार्रवाई किया जाय।

6. 50वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 23 **"झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को राज्य योजना के क्रियान्वयन हेतु 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय / आकस्मिक निधि के रूप में व्यय करने के संबंध में"** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निदेशित किया गया कि विभाग/वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब कार्रवाई पूर्ण करे।

7. 51वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 07 **"समग्र शिक्षा के PAB में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर 375 बी.आर.पी. के चयन के संबंध में"** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निदेशित किया गया कि निर्वाचन आयोग से समन्वय स्थापित कर चयन की प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण की जाय ।

8. 51वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 15 **"केन्द्र प्रायोजित बालिका छात्रावास योजना अन्तर्गत छात्रावास भवन निर्माण के संबंध में"** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निदेशित किया गया कि निर्वाचन आयोग से शेष दो छात्रावास के निर्माण के लिए पुनर्निविदा प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त करने करते हुए निविदा प्रकाशन की कार्रवाई किया जाय।

9. 51वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की कार्यावली बिन्दु संख्या 16 **"असैनिक निर्माण कार्य की योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराने तथा इस हेतु तैयार निविदा दस्तावेज की स्वीकृति के संबंध में"** राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा संज्ञान में लेते हुए निदेशित किया गया कि असैनिक निर्माण कार्य के अनुश्रवण हेतु एक सुदृढ़ कोषांग का गठन किया जाय । साथ हीं, आगामी कार्यकारिणी की बैठक में असैनिक निर्माण कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन (पुराने कार्यों सहित) भी प्रस्तुत किया जाय । **यह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विशेष तौर पर आयोजित किया जाय ।**

10. राज्य परियोजना निदेशक तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा समन्वय कर उक्त अन्तर्विभागीय/निदेशालय मामलों का समाधान अप्रैल, 2019 में अवश्य पूर्ण करें ।

राज्य कार्यकारिणी समिति की विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक दिनांक 23.01.2019 में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन की स्थिति

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय/ निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय/मंतव्य
02	भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा संचालन हेतु निर्गत वित्तीय एवं अधिप्राप्ति मैनुअल का अंगीकरण । निर्णय :-- भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के लिए जारी Manual of Financial Management and Procurement (FMP) for scheme of Samagra Shiksh को अंगीकृत किया गया एवं इसमें निहित निदेशों के अनुसार कार्यक्रमों के संचालन एवं वित्तीय निदेशों के अनुपालन का निदेश दिया गया । इसका अनुपालन झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् मुख्यालय तथा जिला/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाय । जे.ई.पी.सी. के पदाधिकारी/कर्मी तथा जिला एवं क्षेत्रीय लेखा क्रय/विक्रय संबंधित पदाधिकारी का दो दिवसीय orientation कार्यक्रम किया	अनुपालित । इस संबंध में पत्रांक 1957 दिनांक 29.11. 2018 निर्गत है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य(
	जाय । सीधे सम्बद्ध लेखा/अंकेक्षण/क्रय/ स्टॉक पंजी संधारण/पदाधिकारी यथा राज्य परियोजना निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/के.जी.बी.भी. प्रभारी/मॉडल विद्यालय में लागू करें । राज्य सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के पूरक **RTE compliance** की संबंधित योजना पर भी यह प्रभावी रहेगा । लाभान्वित का डाटाबेस-मोबाईल नम्बर इत्यादि के साथ भी संधारित किया जाय ।		
03	सर्व शिक्षा अभियान के अंकेक्षित लेखा एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 का अनुमोदन निर्णय :– राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा अंकेक्षित लेखे अनुमोदित किया गया एवं निदेशित किया गया कि अंकेक्षित लेखों में उठाये गये आपत्तियों का त्वरित अनुपालन कराया जाय एवं गम्भीर मामलों में दोषी के विरूद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाय । ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन (31.03.2018) का संक्षिप्त ब्यौरा जो सर्व शिक्षा अभियान अंकेक्षण अनुलग्नक है, यह काफी गम्भीर है । a) अग्रिम समायोजन लगभग रू. 670.08 करोड़ का लम्बित है । इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । यह वित्तीय अनुशासन के विरूद्ध है । अभियान चलाकर इसे पूर्ण किया जाय । प्रत्येक शनिवार को यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय । b) टैक्स की स्त्रोत पर कटौती नहीं करना, यह गम्भीर लापरवाही है, ऐसे लेखा पदाधिकारी/लेखापाल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से राशि वसूली की जाय तथा सख्त कार्रवाई की जाय । संविदा रद्द की प्रक्रिया पूर्ण कर समाप्त किया जाय । यह दर्शाता है कि प्रमुख दायित्व का ज्ञान नहीं है । यह कतिपय मामले (**Income tax**) में **punishable** भी **criminal** भी है । c) टैक्स कटौती कर नहीं जमा करना, रिर्टन नहीं भरना लापरवाही है । स्पष्टीकरण पूछे, रिर्टन भरें, पेनाल्टी दोषी से वसूल कर अनुपालन किया जाय । शेष दण्डात्मक कार्रवाई कंडिका (**b**) के अनुरूप की जाय । d) **Asset** पंजी संधारण/सत्यापन, बैंक मासिक **reconciliation** नहीं करने, अभिलेख संधारित नहीं करने वाले जिम्मेदार कर्मी को चिन्हित करें, स्पष्टीकरण पूछ कर कार्रवाई की जाय । शेष दण्डात्मक कार्रवाई कंडिका (**b**) एवं (**c**) के अनुरूप की जाय । e) वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त कंडिका की पुनरावृत्ति न हो, अतः internal	ii) a) वर्त्तमान समय तक रू. 384.08 करोड़ का अग्रिम समायोजन कर लिया गया है, अब मात्र रू. 286.00 करोड़ का अग्रिम समायोजन प्रक्रियाधीन है । b) एवं c) – इस संबंध में कटौती की गई आयकर की राशि जमा करने का निदेश सभी जिलों को दिया गया है । साथ हीं, आयकर विभाग के द्वारा अधिरोपित दण्ड की राशि से संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारी /कर्मचारी के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया है । d) इस संबंध में सभी जिलों को कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है । e) अनुपालित । iii) प्रशासी पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठन की कार्रवाई की गई है । इसकी बैठक आयोजित करते हुए अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण हेतु संबंधित जिलों को निदेशित किया गया है । आंतरिक नियंत्रण हेतु सनदी लेखाकार फर्मों का चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । आचार संहिता समाप्त होते ही आंतरिक एवं वैद्यानिक अंकेक्षण हेतु सनदी लेखाकार फर्मों का चयन कर लिया जायेगा । iv) राज्य परियोजना निदेशक के स्तर पर AO/Dy.Controller of Account/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई है । पुनः दिनांक 25.03.2019 को उपर्युक्त के साथ राज्य परियोजना कार्यालय में बैठक निर्धारित है । v) प्रधान सचिव के स्तर पर मार्च माह के अंतिम सप्ताह में बैठक प्रस्तावित है । vii) सभी जिलों के लेखा पदाधिकारी /लेखापाल की 5 दिनों का विशेष प्रशिक्षण ए.टी.आई. में कराया गया है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई । 2. दोषियों के विरूद्ध समयबद्ध तरीके से दोष निर्धारण कर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई । यह चिन्ताजनक है । दिनांक 15.05.2019 तक प्रभावी कार्रवाई तथा specific अनुपालन किया जाय । इस पर मई, 2019 के अंतिम सप्ताह में एक presentation किया जाय । 3. TDS की राशि सूद सहित codal provisions के तहत 29.03.2019 तक अवश्य जमा किया जाय । 4. एक स्वतंत्र CA जो Audit में envolve नहीं है, CAG empanelled अनुभवी हों, उससे compliance का सत्यापन दिनांक 10 मई, 2019 तक पूर्ण कराये । 5. दोषी कर्मियों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के पैट्रन पर कम से कम एक विभागीय जाँच पदाधिकारी का चयन कर इसे गति दिया जाय ।

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य
	audit कराकर उक्त की पुनरावृत्ति रोके तथा कंडिका 2 के क्रम में समग्र शिक्षा के वित्तीय अनुशासन का पालन हो । iii) यह भी निदेशित किया गया है कि 50वीं बैठक की कार्यावली संख्या 3 में निदेशित क्रमांक **(v)** के अनुसार प्रशासी पदाधिकारी की अध्यक्षता में आंतरिक अंकेक्षण समिति का गठन किया गया जिसमें अतिरिक्त वित्त नियंत्रक, मुख्यालय का सनदी लेखाकार एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग के प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे । आंतरिक अंकेक्षण समिति अंकेक्षण आपत्तियों की समीक्षा एवं निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्णय लेंगे । इस समिति में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार को भी सदस्य के रूप में शामिल करने का निदेश दिया गया । आंतरिक नियंत्रण हेतु सनदी लेखाकार फर्मों का चयन कर सभी स्तरों पर निरंतर आंतरिक अंकेक्षण कराया जाय । iv) राज्य परियोजना निदेशक के स्तर पर AO/Dy.Controller of Account/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की मासिक बैठक करके अनुपालन सुनिश्चित हो । v) प्रधान सचिव के स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा, सचिव, वित्त तथा राज्य परियोजना निदेशक के साथ अनुपालन की स्थिति देखी जाय । पहली बैठक मार्च के द्वितीय /तृतीय सप्ताह में की जाय । vi) 100% परियोजना कार्यालय का त्रैमासिक आंतरिक अंकेक्षण हो ताकि Statutory Compliance improve हो तथा financial rule का अनुपालन हो । vii) लेखा संबंधित 7 दिनों की **Special Training** कराई जाय । viii) Dy. Controller of Accounts-Nodal पदाधिकारी होंगे । उक्त निर्देशों का अनुपालन करायें तथा ससमय बैठक आयोजित कराने का निदेश दिया गया ।		
04	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, मासिक परियोजना भत्ता, यात्रा भत्ता आदि में संशोधन के संबंध में । निर्णय :- 50वीं राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अंतर्गत राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तरीय कार्यालयों में प्रबंधन शीर्ष अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा कंडिकावार निम्न निर्णय लिये गये :	अनुपालित । परियोजना भत्ता की अनुमान्यता दिनांक 01.04.2018 से किये जाने का पत्र निर्गत किया गया है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य

(क) समिति की अनुशंसा के आलोक में समेकित मासिक परिलब्धि में दिनांक 01.04.2018 के प्रभाव से 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया ।

(ख) समेकित मूल परिलब्धि पर 3% की वार्षिक वृद्धि का लाभ दिनांक 01.04.2018 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया । राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप अब प्रबंधन शीर्ष के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों, जिन्हें इस वार्षिक वेतन बढोत्तरी की अनुमान्यता होगी को समान रूप से प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में ही बढोत्तरी की गणना की जायेगी । वार्षिक वृद्धि work performance/output based होगी ।

ii) साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उन कार्यरत कर्मियों को न दिया जायेगा जिनकी उपलब्धि स्तर मूल्यांकन में संतोषप्रद नहीं पायी जाती है । इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगे ।

iii) Performance/incentive, वार्षिक के लिए कर्मीवार लक्ष्य तय कर, उसकी मासिक अनुश्रवण तथा output के आधार पर समिति individual officer को performance grant देने में सक्षम होगी ।

(ग) मासिक परियोजना भत्ता में निम्नरूपेण संशोधन पर स्वीकृति दी गई :

क्र. सं.	कर्मचारी वर्ग	वर्त्तमान मासिक परियोजना भत्ता दर	संशोधित/ स्वीकृत मासिक परियोजना भत्ता दर
1	ग्रेड - **I**	1300/-	2000/-
2	ग्रेड - **II**	1040/-	1600/-
3	ग्रेड - **III**	780/-	1200/-
4	ग्रेड - **IV**	520/-	800/-

उक्त की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि अवकाश अवधि में कार्य करने का बायोमेट्रिक साक्ष्य हो तथा ग्रेड I, II, III measurable output हो । ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति अवकाश देय नहीं होगा ।

(घ) वित्त विभागीय यात्रा भत्ता नियमावली के अनुरूप समिति की अनुशंसा की सूचना है । इसी के अनुरूप अनुमोदित तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिवर्तन भी प्रभावी होगा । परियोजना कर्मियों के यात्रा भत्ता से संबंधित

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य
	प्रस्ताव को सभी शर्तों सहित अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य कार्यालय के प्रभाग-प्रभारी को वायुयान यात्रा की अनुमान्यता होगी । (ङ.) राज्य सरकार द्वारा यात्रा विपत्रों को पारित करने के लिए प्रतिपादित मितव्यता का सभी स्तरों पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों का अनुपालन किया जायेगा ।		
05	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के परिलब्धि में वृद्धि के संबंध में । निर्णय :— राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का अकादमिक आउटपुट काफी अच्छा नहीं है । शिक्षिकाओं / छात्राओं की अनुपस्थिति तथा अन्य समस्याएँ हैं । भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के मानक के अनुरूप राशि स्वीकृत नहीं की गई है । राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत का प्रशासनिक व्यय भी अद्यतन अनुमान्य नहीं किया है । ii) Accountibility तय करने के लिए सी.सी.टी.वी./उपस्थिति/उपलब्धि के पूर्व निर्णय का अनुपालन नहीं हुआ है । iii) इन विद्यालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता है तथा गुणवत्त शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है । इसके संबंध में गिरिडीह जिला/ अन्य जिलों के जनप्रतिनिधियों के समर्थन से प्रस्ताव प्राप्त है । iv) विद्यालय में सभी का दायित्व, संचालन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण, राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय । तदनुसार पुनर्गठित विद्यालय संचालन पर कार्रवाई की जाय । v) विद्यालयवार performance evaluation कर corrective measures लिया जाय । vi) सामाजिक अंकेक्षण 100 प्रतिशत विद्यालयों का किया जाय । vii) भारत सरकार /झारखण्ड सरकार से अनुमान्य राशि प्राप्त की जाय । **तत्काल प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया ।**	क्रमांक ii) से vi) पर कार्रवाई की जा रही है । केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुमान्य राशि प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है ।	समिति द्वारा निदेशित किया गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर विस्तृत प्रतिवेदन आगामी कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया ।
06	प्रखण्डों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय के संबंध में 26वीं राज्य कार्यकारिणी समिति में लिए गये निर्णय के संशोधन एवं वर्त्तमान स्वीकृत मानदेय भुगतान के संबंध में निर्णय:— राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा समग्र शिक्षाअभियान के अंतर्गत बी.आर.सी. मद में इनके मानदेय के लिए स्वीकृत राशि रू. 15,000/- भुगतान करने का निर्णय लिया गया । पूर्व में इस मद में जिन कर्मियों को अधिक राशि का भुगतान किया गया है तथा	अनुपालित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

(266)

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंत
	जिसका अनुमोदन जिला कार्यकारिणी /उपायुक्त से प्राप्त है, उसकी वसूली नहीं की जायेगी । ii) किसी अंकेक्षण में गलत निर्धारण का बिन्दु बनेगा, तो गलत सूचना देकर, गलत निर्धारण करानेवाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से यह वसूली की जायेगी । iii) Excess/ पी.ए.बी. की स्वीकृति से अधिक राशि भुगतान करने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को चिन्हित कर कारण पृच्छा पूछकर, कार्रवाई की जाय । iv) ऐसे कर्मी जो पी.ए.बी. द्वारा स्वीकृति रू. 15,000/- से अधिक प्राप्त कर रहे हैं उन्हें यह लिखित option/choice दिया जाय कि अगर वह रू. 15,000/- प्रतिमाह पर कार्य करने के इच्छुक हो, तभी उनका संविदा विस्तार किया जायेगा, अन्यथा वह स्वतः कार्यमुक्त हो सकते हैं । iv) संबंधित की लिखित consent को contract agreement का अंग बनाया जाय । अगर कार्यदक्षता /क्षमता पर agreement विस्तार योग्य हो । v) जिलावार discrepancies न हो, अतः PFMS/DBT के माध्यम से सभी कर्मी का झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राज्य कार्यालय से ही मानदेय भुगतान किया जाय । इनके भुगतान के लिए इनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से प्राप्त कर उसके आलोक में भुगतान किये जाने का निर्णय राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया गया । vi) Agreement की वार्षिक समीक्षा की quality monitoring की जाय । Document का ऑनलाईन संधारण राज्य स्तर जिला कार्यालयवार किया जाय ।		
07	राज्य कार्यालय में दैनिक मानदेय पर कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मियों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में वृद्धि निर्णय :– समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर को नियत मासिक मानदेय रू. 15,000/-, चालक को नियत मासिक मानदेय रू. 10,000/- एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को नियत मासिक मानदेय रू. 9,500/- दिया जाय । इस राशि पर अनुमान्य नियोक्ता अंशदान परिषद् की ओर से वहन किया जायेगा । इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते भुगतान नहीं किये जायेंगे । कार्यालय कार्य दिवस के बदले अनुस्थित रहने की स्थिति में नियत मानदेय के अनुरूप कटौती की जायेगी । यह निर्णय सिर्फ राज्य परियोजना कार्यालय के लिए लागू होगा ।	अनुपालित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य
08	राज्य परियोजना निदेशक के 'आशुलिपिक' के पदनाम को 'आप्त सचिव' के पदनाम में परिवर्त्तन करने के संबंध में । निर्णय:-- राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि अब श्री मिश्र का समेकित मासिक परिलब्धि रू. 28,000/- प्रतिमाह होगा एवं इस मानदेय पर परियोजना कर्मियों को अनुमान्य/देय अन्य भत्ते एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमान्यता रहेगी ।	अनुपालित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
09	राज्य सरकार के ज्ञानोदय योजना अंतर्गत ई--विद्यावाहिनी के क्रियान्वयन हेतु क्रय किये गये 41000+2977=43977 टेबलेट, 41000 बायोमैट्रिक डिवाईस के वार्षिक रख--रखाव तथा 41000 MDM License Renewal के क्रय का व्यय विद्यालय अनुदान से करने के संबंध में । निर्णय:-- Equipment Manufacturers (OEM) से पुनः दर प्राप्त करने का निदेश दिया गया । साथ हीं दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ एवं आंध्र प्रदेश राज्य से इस संबंध में दर की जानकारी प्राप्त की जाय । ii) बिना बैटरी के वार्षिक रख-रखाव पर विचार करने का निदेश दिया गया । iii) बैटरी का दर अलग से प्राप्त करते हुए आवश्यकतानुसार बैटरी replace किया जाय । उपलब्ध कतिपय तकनीकी पदाधिकारी ने बताया कि बैटरी सामान्यतः 3 वर्ष तक खराब नहीं होती है । iv) समिति द्वारा बायोमैट्रिक डिवाईस एवं मोबाईल डिवाईस मैनेजमेंट के OEM से अंतिम दर प्राप्त कर वार्षिक रख-रखाव एवं लाईसेंस नवीकरण के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई । इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी । v) समिति द्वारा उपर्युक्त AMC/License Renewal हेतु आवश्यक राशि का व्यय झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के स्तर से समग्र शिक्षा के अधीन स्वीकृत विद्यालय विकास मद से प्रति विद्यालय टैबलेट ईकाई के आधार पर करने की स्वीकृति दी गई । यह implementation efficiency के कारण किया जा रहा है । विद्यालय मात्र academics activities पर concentrate होकर कार्य करे । vi) अति छोटे विद्यालय जो रू. 25,000/- से कम अनुदान प्राप्त करते हैं, उनका व्यय झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्	अनुपालित । टैबलेट के AMC हेतु प्रस्ताय कार्यावली बिन्दु संख्या 03 पर उपस्थापित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

(264)

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय/ निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय/मंत
	प्रशासनिक/प्रबंधन मद से वहन करे, अगर यह AMC/License का कुल व्यय विद्यालय अनुदान के 25 प्रतिशत से अधिक हो ।		
10	राज्य समग्र शिक्षाअन्तर्गत 61 विद्यालयों में आई.सी.टी एवं डिजिटल इनिसियेटिव योजना का कियान्वयन **BOOT Model** पर करने के संबंध में । निर्णयः– राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए पाया गया कि प्रत्येक विद्यालय में 10 कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है जिससे बड़े विद्यालयों में सभी बच्चों को कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होगी । वैसे विद्यालय जहाँ नामांकन 500 से अधिक है, उन विद्यालयों में 20 कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए । इसके लिए अतिरिक्त राशि का वहन राज्य योजना मद से किये जाने का निर्णय लिया गया । 20 कम्प्यूटर – प्रथम आवासीय विद्यालय, कक्षा 9–10 में 150 से अधिक विद्यार्थी वाले विद्यालय, कक्षा 6–10 समेकित विद्यालय होने पर 300 से अधिक विद्यार्थी एवं कक्षा 9 से 12 में कम से कम विद्यार्थी होने चाहिए । ii) **Implementation expediate** किया जाय । वित्तीय वर्ष 2017-18 का लक्ष्य लम्बित है । दो वर्ष बीत गया है । यह गम्भीर मामला है । इस पर समिति द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।	इस संबंध में निविदा निष्पादित करते हुए दो कम्पनी मेसर्स Extramarks Education India Ltd. एवं मेसर्स Bennett coleman and company limited को 510 विद्यालयों के लिए LoI निर्गत किया गया है । कार्यादेश निर्गत करने हेतु निर्वाचन आयोग में मामला लंबित है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
11	राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर कंडिकावार निम्न निर्णय लिया गया :- i) प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई । ii) प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड द्वारा स्वीकृत मानदेय के आधार पर भुगतान की स्वीकृति दी गई । iii) व्यावसायिक शिक्षाहेतु पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करते हुए राज्य कार्यालय स्तर पर ही प्रतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया करने हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । iv) समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए ट्रेड का निर्धारण इस तरह किया जाना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके । v) Skill development विभाग/मिशन से समन्वय स्थापित कर उनसे सहयोग प्राप्त करने का निदेश दिया गया । विषयवस्तु की समीक्षा के लिए संचिका Skill development विभाग को भेजने का निदेश दिया गया ।	अनुपालित । इस संबंध में Skill development विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है । ट्रेड का निर्धारण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए सहयोगी का चयन कर लिया गया है । 100 विद्यालयों में प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 62वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य
	vi) व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए बडे-बडे केन्द्र बनाने का निदेश दिया गया । vii) Vocational का competent स्तर से certification तथा skill development mission के साथ employability को भी प्रोत्साहित किया जाय । viii) Detail database संधारित हो ताकि लाभुक विद्यार्थी को track किया जा सके ।		
12	समग्र शिक्षा के अन्तर्गत मासिक पत्रिका कक्षा 9 से 12 तक शामिल करने के संबंध में । निर्णय:– राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करते हुए निम्न निदेश दिये गये : 1. कक्षा 9 से 12 के लिए मुद्रित होनेवाली 'पंख' पत्रिका की विषयवस्तु विद्यार्थी के अनुकूल हो । 2. राज्य के शिक्षक एवं बच्चों का innovative तथा अच्छे, नये विषय/ current topic के लेख प्रकाशित हो । 3. शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की जानकारी को शामिल किया जाय । 4. झारखण्ड के महापुरूष/स्वतंत्रता सेनानियों/दर्शनीय स्थल/धार्मिक/आर्थिक-कारखाना/उद्योग धंधे/कुटीर उद्योग/वन उत्पादक/ sanctury/ पार्क/ नदी/ पहाड़ /खेती के संबंध में लेख प्रकाशित किया जाय । 5. भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी Financial Literacy Awareness को पत्रिका की विषयवस्तु में उपलब्ध कराया जाय । 6. पत्रिका में दी गई प्रमुख सूचनाओं सडक सुरक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/हडिया-दारू के नुकसान/ साक्षरता/स्वच्छता/पेयजल-गुणवत्ता/सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह/डायन प्रथा/gender discremination की जानकारी बच्चों को प्रार्थना सभा में दी जाय । 7. पत्रिका की प्रति राज्य के प्रमुख पुस्तकालयों /प्रखण्ड संसाधन केन्द्र/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध करायी जाय । 8. प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक पत्रिका उपलब्ध कराया जाय । 9. विषयवस्तु को आनलाईन विभागीय पोर्टल पर डाला जाय । पत्रिका में प्रत्येक माह दूसरे विभाग यथा - कल्याण, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास विभाग, आई. टी., बैंक/बीमा से संबंधित जानकारी	इस संबंध में निविदा निष्पादित करते हुए मेसर्स विद्या विहार, नई दिल्ली के साथ पंख पत्रिका के मुद्रण/वितरण हेतु एकरारनामा करते कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य
	माहवार/विभागवार दें ।		
13	Learning Enhancement Program 2018–19 के अंतर्गत स्वीकृत राशि में अव्यवहृत राशि से अन्य गतिविधियों को करने के संबंध में । निर्णय :– राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर कंडिकावार निम्न निर्णय लिया गया :– 1. ज्ञानसेतू एवं ई-विद्यावाहिनी के मूल्यांकन पर होनेवाले व्यय की राशि का भुगतान राज्य सरकार के ज्ञानोदय मद में उपलब्ध राशि से किये जाने का निर्णय लिया गया । 2. प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए कम से कम 150 से अधिक छात्रवाले मॉडल विद्यालय, स्वच्छता में 4 स्टार तथा 5 स्टार के विद्यालयों एवं सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों/झारखण्ड आवासीय विद्यालय में 3D पोस्टर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया । 3. प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निदेश दिया गया कि शिक्षक डायरी में विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी, बच्चों के सीखने का प्रतिफल, विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वंयसेवी संगठनों की जानकारी, केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी आदि का उल्लेख किया जाय । इसमें income tax / GST – at source कटौती, वित्तीय समावेषण, शिक्षा नीति, स्वच्छ विद्यालय के मानक, आर.टी.ई. का संक्षिप्त ब्यौरा, SATH-E, SDG, Asspirational district इत्यादि को शामिल करें । विभिन्न प्रवेश परीक्षा/छात्रवृति का भी उल्लेख किया जाय । 4. प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निदेश दिया गया कि वैसे विद्यालय जहाँ 300 से अधिक बच्चे नामांकित हैं वैसे 3000 विद्यालयों के लिए निविदा प्रकाशित की जाय । ग्रीन बोर्ड पर चॉक से लिखने की सुविधा उपलब्ध होगी । प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए ज्ञानसेतू के लिए निर्धारित कार्यपुस्तिका का मुद्रण कराने का निदेश दिया गया ।	1. Centre for students science learning, Delhi को ई–निविदा के माध्यम से चयन करते हुए LoI निर्गत किया गया है । कुल 20 round मूल्यांकन हेतु रू. 685.00 लाख का व्यय होगा । 2. थ्री डी पोस्टर से संबंधित निविदा निष्पादित करते हुए मेसर्स टैको विजन, मुबंई के साथ एकरारनामा करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है । 3. शिक्षक डायरी से संबंधित निविदा निष्पादित करते हुए मेसर्स प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के साथ एकरारनामा करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है । संबंधित विषयों को शिक्षक डायरी में सम्मलित कर लिया गया है । 4. इस संबंध में GeM पर निविदा प्रकाशित की गई थी परंतु अव्यवहारिक/असंतोषजनक दर प्राप्त होने के कारण निविदा रद्द कर दी गई । पुनः ई–निविदा की कार्रवाई प्रारंभ की गई परंतु आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य लंबित है । 5. ज्ञानसेतू कार्यपुस्तिका के मुद्रण हेतु ई–निविदा के माध्यम से कुल सात मुद्रकों का चयन किया गया है । तीन मुद्रकों के साथ एकरारनामा करते हुए कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है शेष चार मुद्रकों के साथ एकरारनामा करते हुए कार्यादेश निर्गत करने हेतु अनुमति के लिए निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
14	सरकारी विद्यालयों का तृतीय पक्ष के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने से संबंधित । निर्णय :– राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए निदेश दिया गया कि इस मद में समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग करते हुए इस कार्य के लिए मध्याह्न भोजन	अनुपालित । सामाजिक अंकेक्षण का कार्य समग्र शिक्षा में उपलब्ध राशि एवं मध्याह्न भोजन योजना में उपलब्ध राशि के संयुक्त व्यय से उक्त अंकेक्षण का कार्य सम्पन्न कराया गया है । इसमें ज्ञानोदय योजना की राशि का उपयोग नहीं किया जायेगा ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य
	योजना में स्वीकृत राशि का भी उपयोग किया जाय । यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है तो उस राशि का भुगतान राज्य सरकार के ज्ञानोदय मद में उपलब्ध राशि से किये जाने का निर्णय लिया गया । **सामाजिक अंकेक्षण में इस बात का ध्यान रखा जाय कि अंकेक्षण का कार्य विभिन्न बिन्दूओं पर प्रमुखता से की जाय । इसका जिला/राज्य स्तरीय कार्यशाला/प्रस्तुति मनरेगा की भांति किया जाय ।**		
15	शैक्षणिक सत्र 2019–20 में जे.सी.ई.आर.टी. के द्वारा पाठ्य–पुस्तकों के मुद्रण / वितरण के संबंध में निर्णय :– **राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई ।**	मुद्रकों को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
16	राज्य परियोजना कार्यालय में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन एवं प्रत्यर्पण करने के संबंध में । निर्णय :– **राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर समीक्षा करते हुए आगामी राज्य कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव रखने का निदेश दिया गया ।**	कार्यावली संख्या 06 पर उपस्थापित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
17	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रमण्डल स्तरीय कार्यालयों को बंद कर स्वीकृत पद का प्रत्यर्पण करते हुए कार्यरत कर्मियों की सेवा राज्य / जिला कार्यालयों लिये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में निर्णय :– **राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर समीक्षा करते हुए आगामी राज्य कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव रखने का निदेश दिया गया ।**	कार्यावली संख्या 07 पर उपस्थापित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
18	सर्व शिक्षाअभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन एवं प्रत्यर्पन करने के संबंध में । निर्णय:– **राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर समीक्षा करते हुए आगामी राज्य कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव रखने का निदेश दिया गया ।**	कार्यावली संख्या 08 पर उपस्थापित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
19	परियोजना में कार्यरत दक्ष कर्मियों को उच्च पदों पर प्रोमोशन आंतरिक प्रतियोगिता / साक्षात्कार के माध्यम से करने पर सहमति के संबंध में । निर्णय:– **राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परियोजना में कार्यरत कर्मियों के उच्च पदों पर चयन के लिए निम्न निर्णय लिया गया:-** 1. जो सामान्य प्रक्रिया सभी के लिए अपनाई जायेगी, उस प्रक्रिया में इन्हें भी भाग लेना होगा । 2. इन कर्मियों के लिए उम्रसीमा में उनके जे. ई.पी.सी.–एस.एस.ए. के अधीन विभिन्न पद	अनुपालित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

(260)

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंत
	की कार्यविधि के समतुल्य की छूट प्रदान की जायेगी । 3. इन कर्मियों के एक वर्ष के कार्यकाल के विरूद्ध 0.25 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोडा जायेगा । यह समतुल्य पद पर आवेदन करने वालों पर लागू होगा । 4. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक में 5 प्रतिशत की सीमा तक छुट, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को दी जा सकती है । 5. उक्त सुविधा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अधीन पदों के चयन में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्/समग्र शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/के.जी.बी.भी./साक्षर भारत/महिला सामख्या इत्यादि में कार्यरत अवधि का होगा । 6. उक्त छूट/सुविधा झारखण्ड पब्लिक सेवा आयोग, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग या जैक इत्यादि द्वारा आयोजित परीक्षा में नहीं होगा ।		
अन्यान्य 1	भारत सरकार के प्रतिनिधि का बैठक में शामिल होना । निर्णय:— मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व कार्यवली सहित संसूचित किया जाने का निर्णय लिया गया ।	अनुपालित	समिति द्वारा निदेशित किया गया कि आगामी बैठकों के लिए 15 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से ऐजेण्डा सहित पत्र भेजा जायेगा ।
अन्यान्य 2	Governing Body का पुर्नगठन निर्णय:— राज्य कार्यकारिणी समिति एवं शासी पर्षद (Governing Body) में प्रावधानित गैर-सरकारी संस्थाओं/सदस्यों का पुर्नगठन करते हुए पूर्ण राज्य कार्यकारिणी तथा शासी पर्षद का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया ।	• राज्य कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन करते हुए नये सदस्यों को अधिसूचित किया जा चुका है एवं 53वीं बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है । • शासी पर्षद के पुनर्गठन हेतु संचिका सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापित है ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
अन्यान्य 3	जे.ई.पी.सी. में सेवानिवृत्त कर्मियों की पुर्ननियुक्ति । निर्णय:— राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् से सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को उनकी कार्य दक्षता को दृष्टिपथ रखते हुए 65 वर्ष की आयुसीमा तक सेवा में पुनर्नियुक्ति वित्त विभागीय संकल्प एवं निर्देश के रूप में संविदा पर किये जाने का निर्णय लिया गया ।	अनुपालित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।
अन्यान्य	निर्णय:— 4. पारा शिक्षकों का बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा	4. अनुपालित ।	समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई । पारा शिक्षकों के

कार्या० संख्या	राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वीं बैठक का विषय / निर्णय	अनुपालन की स्थिति	राज्य कार्यकारिणी का निर्णय / मंतव्य
	ई-विद्यावाहिनी का कार्यान्वयन सभी विद्यालय में सुनिश्चित किया जाय । 5. पारा शिक्षकों के प्रमाण-पत्र का सत्यापन/चयन की सत्यता का सत्यापन अभियान चलाकर किया जाय । 6. पारा शिक्षकों का डाटाबेस तैयार करें तथा सितम्बर, 2007 के बाद चयनित पारा शिक्षकों का ब्यौरा भी तैयार की जाय । 7. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के PFMS/DBT के माध्यम से राज्य कार्यालय द्वारा अधिकतम भुगतान किया जाय ताकि प्रतिवेदित अंकेक्षण आपत्ति न्यूनतम हो ।	5. प्रमाण-पत्र सत्यापन का कार्य जारी । 6. डाटाबेस तैयार करने का कार्य जारी । 7. राज्य कार्यालय से सभी पारा शिक्षकों का मानदेय, विद्यालय विकास अनुदान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं राज्य स्तर से किये जाने वाले सभी भुगतान PFMS/DBT के माध्यम से किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा से संबंधित निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक एवं साईकिल वितरण तथा बी.आर.पी. /सी.आर.पी. के मानदेय भुगतान का मामला प्रक्रियाधीन है ।	प्रमाण-पत्र जाँच प्रतिवेदन आगामी कार्यकारिणी की बैठक में रखने का निदेश दिया गया ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 02

राज्य कार्यकारिणी में बी0आर0पी0 / सी0आर0पी0 के विभिन्न मांगों हेतु प्रस्ताव

51वीं राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बी0आर0पी0/सी0आर0पी0 के विभिन्न मांगो/समस्याओं की समीक्षा एवं अनुशंसा हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षाकी अध्यक्षता में त्री-सदसीय कमिटि का गठन किया गया था। कमिटि द्वारा बी0आर0पी0/सी0आर0पी0 के विभिन्न मांगों पर की गयी अनुशंसा (अनुलग्नक 1) **के आधार पर निम्नलिखित प्रस्तावों पर राज्य कार्यकारिणी का निर्णय अपेक्षित हैः-**

निर्णय –

आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण कमिटि की अनुशंसा पर अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

कार्यावली बिंदु संख्याः 03

राज्य सरकार के ज्ञानोदय योजना अंतर्गत ई-विद्यावाहिनी के क्रियान्वयन हेतु क्रय किये गये 41,000+2,977=43,977 टेबलेट के वार्षिक रख-रखाव करने के संबंध में ।

राज्य सरकार के ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 41000 टैबलेट का क्रय JAP-IT के मार्फत किया गया था, जिसकी आपूर्ति माह नवम्बर 2018 में किया गया था। उक्त के अलावे BRP/CRP से online Monitring हेतु भी 2977 टैबलेट का क्रय सर्व शिक्षाअभियान मद से किया गया था, जिसकी आपूर्ति माह जून 2018 में किया गया था ।

उपर्युक्त सभी टैबलेट का Warranty/License माह दिसम्बर 2018 में समाप्त हो चुका है। इस हेतु JAP-IT से इसके AMC हेतु प्रस्ताव माँगा गया था । JAP-IT द्वारा M/s Hitachi Systems Micro Clinic Pvt Ltd से Tablets, के AMC के लिए दर प्राप्त करते हुए कार्यालय को संसूचित किया गया था। M/s Hitachi Systems Micro Clinic Pvt Ltd द्वारा Tablets, के AMC के लिए निम्न दर कोट किया गया था ।

तत्पश्चात् JAP-IT के मार्फत Tablets, के AMC हेतु उनके Original Equipment Manufacturers(OEMs) से प्रस्ताव प्राप्त किया गया । पूर्व में M/s Hitachi Systems Micro Clinic Pvt Ltd द्वारा quoted दर एवं JAP-IT के मार्फत Original Equipment Manufacturers(OEMs) द्वारा quoted दर में निम्न परिवर्तन आया –

Items	Period	Earlier rate/price quoted by M/s Hitachi Systems Micro Clinic Pvt Ltd through JAP-IT		Rate/price quoted by OEMs through JAP-IT		Difference in Cost
		Unit Cost	Total Cost	Unit Cost	Total Cost	
Tablets (without Battery and Adapter) (43977 units)	01 year	4543.00	19,97,87,511	4315.00	18,97,60,755	1,00,26,756
	02 year	7847.00	34,50,87,519	7455.00	32,78,48,535	1,72,38,984

पुनः झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा Tablets, के AMC हेतु उनके Original Equipment Manufacturers (OEMs) से वार्त्ता कर उनसे दर मांगा गया जो निम्न प्रकार है :

Items	Period	Rate/price quoted by OEMs through JAP-IT		Rate/price quoted by OEMs directly to JEPC		Difference in Cost
		Unit Cost	Total Cost	Unit Cost	Total Cost	
Tablets (without Battery and Adapter) (43977 units)	01 year	4315.00	18,97,60,755	3990.00	17,54,68,230	1,42,92,525
	02 year	7455.00	32,78,48,535	6850.00	30,12,42,450	2,66,06,085
Tablets (with Battery and Adapter) (43977 units)	01 year	--	--	5820.00	25,59,46,140	--
	02 year	--	--	9990.00	43,93,30,230	--

इस संबंध में प्राप्त निदेश के आलोक में AMC/License Renewal के सभी बिंदुओं पर सुविचारित मंतव्य देने हेतु निम्नरूपेण तकनीकि समिति का गठन किया गया है, जो टैबलेट के AMC हेतु सभी बिंदुओं पर आवश्यक निर्णय लेगी –

1. राज्य परियोजना निदेशक, झा.शि.प.प. – अध्यक्ष
2. राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, झारखंड के प्रतिनिधि – सदस्य
3. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप–आई.टी. के प्रतिनिधि – सदस्य
4. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि – सदस्य
5. बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप के कार्यक्रम से संबंधित प्रतिनिधि – सदस्य
6. समन्वयक, एम.आई.एस., झा.शि.प.प. – सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति द्वारा ई–विद्यावाहिनी के सुचारू संचालन हेतु टैबलेट का AMC कराना आवश्यक बताया गया है एवं इस हेतु OEM से अंतिम दर प्राप्त कर OEM या उनके नामित पार्टनर से टैबलेट के AMC का कार्य करवाने पर सहमति दी गई है ।
उपर्युक्त सभी टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाईस एवं एम.डी.एम. लाईसेंस का वारंटी/लाईसेंस समाप्त हो चुका है एवं ई–विद्यावाहिनी के सफल संचालन हेतु इन सामग्रियों का AMC/License Renewal आवश्यक प्रतीत होता है ।

इस हेतु एक प्रस्ताव राज्य कार्यकारिणी की 52वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु संख्या 09 पर दिया गया था जिसपर राज्य कार्यकारिणी द्वारा निम्न निर्णय लिया गया था :–

i) समिति द्वारा टैबलेट के वार्षिक रख-रखाव हेतु प्राप्त दर में अधिकता को देखते हुए Original Equipment Manufacturers (OEM) से पुनः दर प्राप्त करने का निदेश दिया गया । साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्य से इस संबंध में दर की जानकारी प्राप्त की जाय ।

ii) बिना बैटरी के वार्षिक रख-रखाव पर विचार करने का निदेश दिया गया ।

iii) बैटरी का दर अलग से प्राप्त करते हुए आवश्यकतानुसार बैटरी replace किया जाय । उपलब्ध कतिपय तकनीकी पदाधिकारी ने बताया कि बैटरी सामान्यतः 3 वर्ष तक खराब नहीं होती है ।

राज्य कार्यकारिणी के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में

i) टैबलेट के OEM (HP India Sales Pvt. Ltd.) से वार्त्ता की गई और उनके द्वारा AMC हेतु अंतिम दर निम्न प्रकार quote किया गया है :–

ii)

Items	Period	Rate/price quoted by OEMs	
		Unit Cost	Total Cost
Tablets (without Battery) (43977 units)	01 year	3599.00	15,82,73,223.00/-
	02 year	5988.50	26,33,56,264.50/-
Cost of Battery as spare item	6300/- per piece		

iii) छत्तीसगढ़ राज्य ने 51,000 टैबलेट Datamini make (Model TPOS7) का क्रय 1+2 वर्ष के Warranty के साथ रू. 11,600/– प्रति ईकाई के दर से किया है ।

उड़ीसा राज्य में Datamini make के टैबलेट के क्रय की प्रक्रिया 1+2 वर्ष के Warranty के साथ जारी है एवं इस हेतु रू. 12,299/– प्रति ईकाई के दर प्राप्त हुआ है ।

<u>प्रस्ताव :</u>

चूंकि समग्र शिक्षाअंतर्गत उपर्युक्त AMC हेतु कोई राशि/बजट स्वीकृत/उपबंधित नहीं है । अतः उक्त कार्य में होनेवाला व्यय समग्र शिक्षाके विद्यालय अनुदान शीर्ष से करने का प्रस्ताव है । ज्ञात हो कि समग्र शिक्षाके नियमावली के अनुसार विद्यालय अनुदान विद्यालय स्तर पर व्यय करने का प्रावधान है । समग्र शिक्षामें विद्यालय अनुदान की राशि विद्यालय में नामांकन के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है । इसमें न्यूनतम रू.12,000/– (15 नामांकन तक) एवं अधिकतम रू. 1,00,000/– उपलब्ध कराये जा रहे हैं । कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय अनुदान शीर्ष से टैबलेट, के AMC हेतु सभी विद्यालयों के लिए आवश्यक धनराशि एकमुश्त रूप से राज्य स्तर से व्यय करने के प्रस्ताव है । एक वर्ष के AMC प्रत्येक device (without Battery) पर लगभग रू. 3,599/– व्यय होगा जबकि दो वर्ष के लिए यह राशि लगभग रू. 5,988.50/– प्रति device होगा । 43977 टैबलेट के AMC पर एक वर्ष में कुल रू. 15,82,73,223.00/- का व्यय संभावित है जबकि दो वर्ष के लिए यह राशि रू. 26,33,56,264.50/- होगी । जिस विद्यालय में जितने device होंगे उसके आधार पर उक्त विद्यालय से राशि की कटौती राज्य स्तर पर करते हुए शेष राशि का भुगतान संबंधित विद्यालय को किये जाने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त device विद्यालय की ही सम्पत्ति है एवं उसके द्वारा विद्यालय का ही कार्य सम्पन्न किया जा रहा है । इस पर विद्यालय की पूर्व सहमति प्राप्त की जा सकती है ।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णय:–

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा इसपर विस्तृत चर्चा की गई :–

i) **सामान्यतः टैब में दो वर्षों में तकनीकी खराबी होने की कम संभावना एवं रख–रखाव के लिए प्रस्तावित अत्याधिक राशि (जिससे कि लगभग 21500 नये टैब का क्रय किया जा सकता है) पर विचार करते हुए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई ।**

ii) **ई–विद्यावाहिनी के अनुश्रवण के लिए पी.एम.यू. गठित है । उक्त पी.एम.यू. द्वारा अनुश्रवण किया जाय कि यदि टैब में कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मति संबंधित विद्यालय विकास अनुदान की राशि से कराई जाय ।**

iii) **भारत सरकार में प्रचलित** E-product Devaluation Formula **के आधार पर** Incentive Mechanism **बनाया जाय ताकि एक निर्धारित समय सीमा पर** User **को इसे क्रय करने की छूट मिल सके । मुख्य सचिव द्वारा उपर्युक्त मामले पर सचिव, संसाधन (वित्त विभाग) को भारत सरकार के प्रतिष्ठानों में लागू व्यवस्था के अध्ययन का निदेश दिया गया।**

iv) **टैब की अनुपलब्धता में स्मार्ट फोन से डाटा प्राप्त करने का कार्य किया जाय एवं इसके लिए** User **को** Incentive **देने पर विचार किया जाय ।**

v) **जैप–आई.टी. ने** Expert agency **के रूप में अपने कार्य में अन्य राज्यों के सापेक्ष विफल रही है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ एवं ओड़िसा में समान**

(256)

लागत में 3 साल का Warantty/AMC सम्मलित है । समिति की इस भावना से जैप–आई.टी. को अवगत कराया जाय ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 04

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवाकालीन प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से राज्य के सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड संसधान केन्द्र हेतु प्रोजेक्टर एवं ऑडियो सिस्टम के क्रय पर अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण मद में दस दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रू0 300 प्रति शिक्षक प्रति दिवस स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 30–35 करोड़ की राशि PAB द्वारा स्वीकृत की जाती है।

अंकनीय है कि नीति आयोग एवं राज्य सरकार तथा बी0सी0जी0 के साथ हुए त्रि–पक्षीय MoU के आलोक में राज्य में प्रोजेक्ट साथ–ई0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट साथ–ई0 के अंतर्गत कुल 15 गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें गुणवत्त शिक्षा हेतु ज्ञान–सेतु एवं आँकड़ों के संग्रहण एवं real time online monitoring हेतु ई0–विद्यावाहिनी प्रमुख है। ज्ञान–सेतु के प्रशिक्षण हेतु रूचिकर मॉड्यूल तैयार किया गया है तथा प्रशिक्षण के दौरान communication के dilution को रोकने हेतु डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया गया है। डिजिटल मॉड्यूल के कारण शिक्षकों में विशेष रूचि उत्पन्न हुई है तथा प्रशिक्षण का स्वरूप भी बदला है जिसका असर प्रशिक्षणोपरांत विद्यालयों में प्रभावी क्रियान्वयन पर देखने को मिल रहा है। विदित हो कि माह दिसम्बर–जनवरी 2019 में डिजिटल मॉड्यूल पर राज्य के लगभग 90000 शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण को एक निश्चित समयाविधि में पूर्ण करना मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए प्रखण्ड स्तर पर शिक्षकों की संख्या अनुसार एक समय में एक से अधिक बैच में प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। डिजिटल मॉड्यूल हेतु सभी प्रशिक्षण स्थल पर प्रोजेक्टर एवं ऑडियो सिस्टम की आवश्यकता है। वर्त्तमान में यह सुविधा भाड़े पर प्राप्त की जा रही है जिसमें काफी मात्रा में राशि व्यय हो रही है साथ–ही राज्य के कई दूरस्थ प्रखण्डों में यह सुविधा भाड़े पर भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। भाड़े पर प्राप्त होने वाली सुविधा की गुणवत्ता भी कई जगहों पर सही नहीं होती है।

<u>प्रतिदिन प्रोजेक्टर एवं ऑडियो सिस्टम किराये पर लेने की व्यय विवरणी</u>

प्रशिक्षित किये जानेवाले शिक्षकों की संख्या	शिक्षक बैच की संख्या (प्रति बैच 40 शिक्षक)	प्रोजेक्टर एवं ऑडियो सिस्टम का प्रतिदिन औसत किराया (रू. में)	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	कुल किराया की राशि (लाख रू. में)
100000	2500	1800/–	6	270.00

<u>प्रोजेक्टर एवं ऑडियो सिस्टम क्रय करने पर होने वाला संभावित व्यय</u>

प्रखण्डों की संख्या	प्रोजेक्टर एवं ऑडियो सिस्टम की संभावित लागत (रू. में)	सिस्टम की आवश्यकता	कुल लागत (लाख रू. में)
265	30000/– प्रति ईकाई	2 सेट	159.00

दो सेट प्रोजेक्टर एवं ऑडियो सिस्टम क्रय करने पर लगभग रू. 159.00 लाख का व्यय संभावित है जबकि एक वर्ष में रू. 270.00 लाख का किराया भुगतान किया जा रहा है । उक्त सामग्री क्रय करने से सभी प्रखण्डों के पास अपनी शिक्षण सामग्री होगी जिनका आवश्यकतानुसार वर्ष में कई बार उपयोग किया जा सकता है ।

उक्त आलोक में प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में PAB द्वारा स्वीकृत होने वाले सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण मद से राज्य के सभी 265 प्रखण्डों हेतु दो सेट में प्रोजेक्टर एवं ऑडियो सिस्टम का क्रय ई0निविदा/GEM से क्रय करने पर राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः–

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य झारखण्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (जे.सी.ई.आर.टी.) द्वारा कराया जाता है इसलिए जे.सी.ई.आर.टी. परिषद् इसकी व्यवस्था अपने संसाधन से करे । प्रशिक्षण में उक्त सामग्री के उपयोग के लिए उचित शुल्क भी जे.सी.ई.आर.टी. निर्धारित कर सकेगी ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 05

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत कार्यरत रिसोर्स शिक्षक/थेरेपिस्ट के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि तथा नियत यात्रा भत्ता के संबंध में।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम संचालित है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को विद्यालय से जोड़ना तथा गम्भीर रूप से निःशक्त बच्चों को गृह आधारित शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर रिसोर्स शिक्षक एवं थेरेपिस्ट कार्यरत हैं। रिसोर्स शिक्षक विशेष रूप से मानसिक मंदता, श्रवण तथा दृष्टिहीन श्रेणी के विद्यार्थियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु विशेष रूप से Rehabilitation Council of India से प्रशिक्षित एवं निबंधित है। थेरेपिस्ट में विशेष रूप से फिजियोथेरेपिस्ट, अकुपेशनल थेरेपिस्ट तथा ऑडियोलॉजिस्ट कार्यरत हैं। इनके द्वारा प्रखण्ड स्तर पर निम्न कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है–

- दिव्यांग बच्चों का सर्वेक्षण।
- दिव्यांग बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं पठन–पाठन में आवश्यक सहयोग।
- प्रखण्ड स्तर पर कैम्प आयोजित करते हुए दिव्यांग बच्चों की पहचान तथा सहायक उपस्कर प्रदान करना।
- प्रखण्ड स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित प्रखण्ड संसाधन कक्ष में दिव्यांग बच्चों को आवश्यक सुविधा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- दिव्यांग बच्चों के माता–पिता/अभिभावक/विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों हेतु परामर्श सत्र का आयोजन।
- गंभीर रूप से निःशक्त बच्चों हेतु उनके घर जाकर तथा अभिभावकों के सहयोग से गृह आधारित शिक्षण की व्यवस्था।
- समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानन्द निःशक्त योजना के अंतर्गत मिलने वाले Stipend की व्यवस्था।

(255)

- इसके अतिरिक्त ब्रेल एवं साईनेज पर शिक्षकों एवं अभिभावकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन तथा बच्चों को विद्यालय तक लाने एवं पहुँचाने हेतु स्थानीय स्तर पर स्कॉट की व्यवस्था।

वर्त्तमान में राज्य में कुल 333 रिसोर्स शिक्षक एवं थेरेपिस्ट कार्यरत हैं। इनका चयन जिला चयन समिति द्वारा किया जाता है तथा इनकी न्यूनतम अहर्त्ता Intermediate with 2 years diploma in disablility (Recognised by Rehabilitation Council of India) है । इन्हें प्रत्येक माह नियत परिलब्धि रू0 15730.00 (रू. 628.57 लाख वार्षिक) का भुगतान वर्त्तमान में किया जा रहा है। वर्त्तमान में जिलावार दिव्यांग बच्चों एवं रिर्सोस शिक्षकों की संख्या निम्नवत् है :–

S. No	District	No. of CWSN	No. of Children enrolled in school	No. of Resource Person
1	Bokaro	5027	2698	9
2	Chatra	4783	2439	14
3	Deoghar	4969	3518	19
4	Dhanbad	3998	2391	20
5	Dumka	4749	3160	8
6	Garhwa	4320	3485	4
7	Giridih	8240	5068	24
8	Godda	3479	3120	20
9	Gumla	2734	897	8
10	Hazaribagh	4092	2627	23
11	Jamtara	2825	1210	3
12	Khunti	2501	2187	12
13	Koderma	2484	1677	8
14	Latehar	1632	1003	10
15	Lohardaga	2060	1509	9
16	Pakur	3107	1592	13
17	Palamu	3225	2296	3
18	Pashchimi Singhbhum	4867	3522	20
19	Purbi Singhbhum	4998	3931	25
20	Ramgarh	3702	2239	6
21	Ranchi	9425	9063	29
22	Sahibganj	2932	2287	11
23	Saraikela-Kharsawan	2078	2340	16
24	Simdega	2140	965	19
	Total	**94367**	**65224**	**333**

रिसोर्स शिक्षक एवं थेरेपिस्ट द्वारा अपने अनुरोध–पत्र में बारम्बार मानदेय में वृद्धि तथा नियत यात्रा व्यय की माँग की जाती रही है। विदित हो कि रिसोर्स शिक्षक एवं थेरेपिस्ट के मानदेय में विगत 4 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

अतः रिसोर्स शिक्षक एवं थेरेपिस्ट के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में रखते हुए PAB के समक्ष प्रस्तुत करने तथा प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के अंतर्गत उपलब्ध contingency से प्रत्येक माह रू0 500.00 की राशि नियत यात्रा व्यय के रूप में करने पर राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:–

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्न निदेश दिया गया :–

i) **सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय जिसमें राज्य परियोजना निदेशक या उनके प्रतिनिधि के साथ–साथ**

निदेशक, समाज कल्याण, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, राज्य निःशक्तता आयुक्त को भी सदस्य के रूप में रखा जाय ।

ii) समिति अन्तर्विभागीय योजनाओं का अभिसरन करेगी ताकि इसमें दुहराव न हो ।

iii) कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समिति एक रोडमैप तैयार करेगी ।

iv) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् समिति द्वारा अद्यतन किये गये कार्यों की समीक्षा कर आगामी बैठक में एक प्रस्तुति देगी ।

v) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् उक्त कार्यक्रम से संबंधित डाटाबेस तैयार करेगी जिससे प्रत्येक बच्चे को ट्रैक किया जा सकेगा एवं साधनसेवियों की उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी ।

vi) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो विद्यालय से बाहर रह गये हैं उन्हें विद्यालय में नामांकित कराया जाय ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 06

राज्य परियोजना कार्यालय में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन एवं प्रत्यर्पन करने के संबंध में

राज्य परियोजना कार्यालय में डी.पी.ई.पी., जनशाला एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर कुल 72 पद स्वीकृत हैं जिसकी विवरणी अनुलग्नक 2 पर संलग्न है ।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षण योजना को भी शामिल किया गया है जिसके आलोक में स्वीकृत पदो के पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है ।

कार्यक्रम संचालन हेतु राज्य परियोजना निदशक एवं प्रशासी पदाधिकारी के पद के साथ विभिन्न पदनाम, असैनिक कार्य, ई.एम.आई.एस. आदि में मिलाकर कुल 28 पद स्वीकृत हैं । इसके अतिरिक्त वित्त एवं लेखा शाखा में 12 पद, स्टेनों–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के 12 पद के साथ 4 ड्राईवर, 5 आदशपाल आदि के पद स्वीकृत हैं ।

कार्यक्रम संचालन हेतु उपर्युक्त पदों को निम्न प्रकार पुनर्गठित किये जाने का प्रस्ताव है :

1. पदनाम में परिवर्त्तन

मूल पदनाम	प्रस्तावित परिवर्त्तित पदनाम
a) Expert Pedagogy b) Specialist (MRE) c) Senior Expert(programme co-ordinator) d) Distance Education co-ordinator e) Additional Programme co-ordinator f) Co-ordinator MIS g) Expert Tribal Education	**State Programme Co-ordinator**
a) Senior Expert(Teacher Traning) b) Expert Inclusive Education c) Expert Education d) Research Officer	**Programme Officer**
Civil Works Engineer	**Civil Works Manager**
Civil Engineer	**Executive Engineer**
Stenographer-cum-Computer Operator (5 post) Steno (2 post)	**Computer Operator**

(2.53)

2. पदों का युक्तिकरण

मूल पद	पद में परिवर्त्तन	किस पद के विरूद्ध परिवर्त्तन
Assistant Engineer	Junior Engineer	Assistant Engineer
	Junior Engineer	Accountant
Expert EMIS	Computer Programmer	Expert EMIS
	Assistant Computer Programmer	Accountant
JAO	State Programme co-ordinator	JAO
Accountant	Accounts Officer	Accountant

3. पदों का प्रत्यार्पण

पदनाम	पदों की संख्या
Core Team Member (Women's Develop.)	02
Senior Clerk	01
Junior Clerk / Typist	01

4. उपर्युक्त क्रमांक 01 से 03 में दिये गये पदों के परिवर्त्तन, युक्तिकरण एवं प्रत्यार्पण के उपरांत झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के लिए निम्न संरचना प्रस्तावित है :

Department	Sl.No.	Name of the Proposed Post	No. of Post
Administration (2)	1	State Project Director (Ex-officio)	1
	2	Administrative Officer (Ex-officio)	1
Head (11)	3	State Programme Co-ordinator	1
	4	State Programme Officer	2
	5	State Programme Co-ordinator	1
	6	State Programme Co-ordinator	1
	7	State Programme Co-ordinator	1
	8	State Programme Co-Ordinator	1
	9	State Programme Co-ordinator	2
	10	Finance Controller	1
	11	Civil Work Manager	1
	12	State MIS Co-ordinator	1
Programme Officer (25)	13	Programme Officer	4
	14	Assitant Programme Officer	4
	15	Additional Finance Controller	1
	16	Finance & Account Officer	2
	17	Account Officer	2
	18	Accountant	1
	19	Senior Auditor	1
	20	Auditor	1
	21	Excutive Engineer	1
	22	Junior Engineer	2
	23	Computer programmer	2
	24	Assistant Computer Programmer	2
	25	Joint Administrative Officer	2
Support Staff (18)	26	Stenographer-cum-Computer Operator	3
	27	Computer Operator	13
	28	Steno	2
Driver, Peons etc. (11)	29	Driver	4
	30	Routine Clerk	1
	31	Peon	5
	32	Sweeper	1
		Total	**68**

उपर्युक्त कंडिका 01 से 04 पर राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 07

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रमण्डल स्तरीय कार्यालयों को बंद कर स्वीकृत पद का प्रत्यर्पण करते हुए कार्यरत कर्मियों की सेवा राज्य /जिला कार्यालयों लिये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में

22वीं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22.08.2008 को सम्पन्न हुई थी में, सर्व शिक्षाअभियान के अंतर्गत प्रमंडलीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था । इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल में निम्न पद स्वीकृत किये गये थे :–

1. प्रमण्डलीय अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी – 5 पद
2. प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियंता – 5 पद
3. प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी – 5 पद
4. प्रमण्डलीय कम्प्यूटर प्रोगामर – 5 पद

प्रमंडल स्तर पर पदों को स्वीकृत करने का उद्देष्य निम्न था :–

- प्रमंडल स्तर पर जिलों की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण में सहयोग एवं अप्रैजल तथा अनुमोदित बजट के अनुरूप गतिविधियों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करना ।
- प्रशिक्षण, कार्यक्रम संचालन में तकनीकी सहयोग, अग्रिम राषि का समायोजना, प्राक्कलन एवं डिजाईन
- लेखा अंकेक्षण एवं प्रशिक्षण
- प्रमंडल स्तर पर डाटाबेस तैयार कर आँकड़ों का विष्लेषण करना

वित्तीय वर्ष 2008–09 में उपर्युक्त पदों पर कर्मियों की सेवा ली गई । 6–7 वर्षों के उपरांत इनकी उपलब्धि उक्त के अनुरूप न होने, जिलों में कर्मियों की कमी होने के कारण प्रमण्डल स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों की सेवा निम्न रूप से ली जा रही है :–

1. दो प्रमण्डलीय अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी में से एक की सेवा राज्य कार्यालय में एवं एक की सेवा जिला कार्यालय में ली जा रही है ।
2. दो प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियंता की सेवा राज्य कार्यालय में ली जा रही है ।
3. चार प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी की सेवा जिला कार्यालयों में ली जा रही है ।
4. चार प्रमण्डलीय कम्प्यूटर प्रोगामर की सेवा जिला कार्यालयों में ली जा रही है ।

उपर्युक्त स्थिति में प्रमण्डल स्तरीय कार्यालय समाप्त हो गये हैं अतः उपर्युक्त सभी 20 स्वीकृत पदों का प्रत्यार्पण किये जाने का प्रस्ताव है ।

उक्त प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 08

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन एवं प्रत्यार्पन करने के संबंध में

राज्य के 24 जिलों में से 6 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0), 2 जिलों में जनशाला कार्यक्रम का संचालन एसएसए के प्रारंभ होने से पूर्व से संचालित किये जा रहे थे । कालान्तर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के पदों का समाहन एसएसए के अन्तर्गत कर लिया गया । राज्य के शेष 18 जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पदों का सृजन किया गया । इस प्रकार राज्य में जहां 18 जिलों में एसएसए प्रबंधकीय संरचना स्थापित है वहीं शेष 6 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) का प्रबंधकीय संरचना के अनुसार पदाधिकारी एवं कर्मी कार्यरत हैं । इस प्रकार उक्त दो संरचना में मानव संसाधन की संख्या अलग–अलग है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) एवं एसएसए के लिए क्रमशः निम्नवत् रूप से पद स्वीकृत एवं उसके विरूद्ध कार्यरत पदाधिकारी /कर्मी हैं :–

(251)

	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
सर्व शिक्षा अभियान जिला (18 जिला)	252	161	91
डी.पी.ई.पी. जिला (6 जिला)	216	128	88
प्रखण्ड	2072	1193	879
कुल	**2540**	**1482**	**1058**

जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) के अन्तर्गत स्वीकृत पद एवं कार्यरत कर्मियों की संख्या

Name of Post	Sanctioned Unit	Dist. Chatra	Dist. Ranchi	Dist. Dumka	Dist. E.Singhbhum	Dist. W. Singhbhum	Dist. Hazaribagh	Total Working
Additional Dist. Prg. Officer (SSA)	1	1	1	1	1	1	1	6
Account Officer / Finance Officer	1	1	1	1	0	0	1	4
Accountant	1	0	1	1	1	0	0	3
Assistant Accountant	2	1	1	0	0	0	0	2
Assistant Engineer	2	0	1	1	1	1	1	5
Junior Engineer	4	0	0	0	1	0	2	3
Assistant Computer Programmer	1	0	1	1	1	1	1	5
Data Entry Operator	1	1	1	2	0	1	1	6
Assistant Programme Officer	3	2	1	2	2	3	2	12
District Resource Person	1	0	0	1	0	0	0	1
Assistant Resource Person	4	3	2	0	2	3	2	12
Asst. cum Store Keeper	1	0	1	0	1	1	0	3
Purchase Assistant	1	0	0	0	1	1	1	3
Steno	1	0	0	1	0	0	0	1
Typist	2	3	0	0	2	1	1	7
Driver	04-05	4	5	0	3	3	4	19
Peon / Night Guard	6	6	3	1	3	5	4	22
Total	**35-37**	**22**	**19**	**12**	**19**	**21**	**21**	**114**
Sanctioned	**222**							
Working	**114**							
Vacant	**108**							

DISTRICT LEVEL OFFICE

S.N.	District	Additional District Prog. Officer			Assistant Programme officer			Account Officer			Assistant Engineer			Assistant Computer Programmer			Accountant Cum Computer Operator			Steno-cum-Computer Operator			Computer Operator			Total Working
		SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	
1	Dhanbad	1	1	0	4	3	1	1	0	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	2	7
2	Khunti	1	1	0	4	2	2	1	1	0	2	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	8
3	Bokaro	1	1	0	4	3	1	1	0	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	9
4	Kodarma	1	1	0	4	3	1	1	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	8
5	Simdega	1	1	0	4	2	2	1	0	1	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	6
6	Giridih	1	1	0	4	2	2	1	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2	2	0	7
7	Pakur	1	0	1	4	3	1	1	0	1	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	7
8	Palamu	1	1	0	4	3	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	2	9
9	Ramgarh	1	0	1	4	3	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	2	0	2	6

DISTRICT LEVEL OFFICE																										
S.N.	District	Additional District Prog. Officer			Assistant Programme officer			Account Officer			Assistant Engineer			Assistant Computer Programmer			Accountant Cum Computer Operator			Steno-cum-Computer Operator			Computer Operator			Total Working
		SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	SU	WU	VAC	
10	Saraikela	1	0	1	4	2	2	1	1	0	2	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	1	2	2	0	6
11	Sahebganj	1	1	0	4	2	2	1	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0	1	1	0	2	2	0	8
12	Deoghar	1	1	0	4	4	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	10
13	Jamtara	1	0	1	4	3	1	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2	1	1	5
14	Garhwa	1	1	0	4	2	2	1	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0	1	1	0	2	0	2	6
15	Godda	1	0	1	4	2	2	1	0	1	2	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	7
16	Gumla	1	1	0	4	2	2	1	1	0	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	10
17	Latehar	1	1	0	4	2	2	1	1	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2	2	0	8
18	Lohardaga	1	1	0	4	3	1	1	0	1	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	10
	TOTAL	18	13	5	72	46	26	18	10	8	36	11	25	18	10	8	18	15	3	18	9	9	36	23	18	137

Sanctioned	234
Working	137
Vacant	97

उक्त 6 जिलों राँची, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं दुमका जिला कार्यालय में पदों की समरूपता राज्य के शेष 18 जिलों में एसएसए संरचना के तहत स्वीकृत पदो के समरूप करने हेतु पदवार प्रस्ताव निम्नवत् उपस्थापित है :–

(क) पदनाम में परिवर्त्तन

1. Additional District Programme Coordinator – चूंकि यह पद राज्य के 18 जिलों में स्वीकृत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अनुरूप है अतः पद नाम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्थान पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी किया जा सकता है ।
2. Account Officer / Finance Officer – राज्य के 18 जिलों के अनुरूप मात्र लेखा पदाधिकारी का पद इन 6 जिलों में किया जा सकता है एवं वित्त पदाधिकारी पदनाम को विलोपित किया जा सकता है ।

(ख) सम्परिवर्त्तन एवं स्थानांतरण

1. Junior Engineer – डी0पी0ई0पी0 के तहत इन 6 जिलों में 4–4 कनीय अभियंता का पद कुल 24 पद जिला स्तर पर स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 5 कार्यरत है । कार्यरत 5 कनीय अभियंता की सेवा संबंधित जिलों के ही प्रखण्डों में स्थानान्तरित किया जा सकता है । 6 डी.पी.ई.पी. जिलों में 6 पद को जेण्डर कोऑडिनेटर के रूप में सम्परिवर्त्तित किया जा सकता है । इन 24 पदों को 18 एस.एस.ए. जिलों में हस्तांतरित किया जा सकता है । प्रत्येक 18 जिलों में एक–एक पद को जेण्डर कोऑडिनेटर के रूप में सम्परिवर्त्तित किया जा सकता है ।
2. Assistant Programme Officer – राज्य के 6 डी0पी0ई0पी0 जिलों में 3–3 सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी का पद स्वीकृत है जबकि शेष 18 जिलों में 4–4 सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी का पद स्वीकृत है । डी.पी.ई.पी. जिलों में डी.आर.पी. के 1 पद एवं ए.आर.पी. के 3 पद प्रत्येक जिलों में स्वीकृत हैं । इन पदों को APO के पद में सम्परिवर्तित किया जा सकता है ।
3. District Resource Person & Assistant Resource Person – राज्य के 6 जिलों में 1–1 कुल 6 District Resource Person एवं 3–3 कुल 18 पद Assistant Resource Person का स्वीकृत है । उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध क्रमशः 1 एवं 13 कर्मी पदस्थापित हैं । इन 14 (1+13) District Resource Person & Assistant Resource Person के पदों को सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी करते हुए कार्यरत कर्मियों की सेवा सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में अपने ही

वेतनमान में ली जा सकती है । इस तरह 6 डी.पी.ई.पी. वाले जिले में भी 3–3 APO के अतिरिक्त पद हो जायेंगे । एक पद APO का रखते हुए शेष 2 APO के समपरिवर्त्तित पद में से 12 पद Legal Officer के लिए चिन्हित किया जा सकता है ।

4. Driver – राज्य के 6 वैसे जिले जहां डी0पी0ई0पी0 संचालित थे में 4–5 चालक का पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 22 चालक वर्तमान में कार्यरत हैं (चतरा–4, रांची–5, दुमका–2, पूर्वी सिंहभूम–3, पश्चिमी सिंहभूम–4 एवं हजारीबाग–4 = कुल 22)। इन 6 जिलों में डी0पी0ई0पी0 के तहत वाहन उपलब्ध थे परन्तु वर्तमान में लगभग सभी जिलों में 1 या 2 वाहन उपलब्ध है या वाहन चलायमान स्थिति में हैं । इन चालक के पद पर कार्यरत चालकों से कार्यालयी कार्य लिया जाता हैं । अतः कार्यरत 22 चालकों को ईकाई सहित राज्य के 22 जिलों में चालक–सह–आदेशपाल का पद स्वीकृत करते हुए स्थानान्तरित किया जा सकता है ।
5. खूँटी, लोहरदग्गा, रामगढ़, पाकुड़, जामताड़ा जिले में अन्य जिलों की तरह 4–4 पद APO के स्वीकृत हैं । उक्त जिले क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से छोटे हैं जिनमें स्वीकृत APO के 4–4 पद में से एक–एक पद को Legal Officer के पद में सम्परिवर्त्तित किया जा सकता है ।
6. Peon / Night Guard – राज्य के 6 जिलों में डी0पी0ई0पी0 संचालित थे । इन 6 जिलों के प्रत्येक जिला में 6–6 Peon / Night Guard का कुल पद 36 स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध वर्तमान में 25 कर्मी कार्यरत हैं जबकि राज्य के शेष 18 जिलों में एसएसए संरचना के अनुसार एक भी Peon / Night Guard का पद स्वीकृत नहीं है । उक्त जिलों से एक–एक पद ईकाई सहित अन्य 18 जिलों में स्थानांतरित (पद सहित) किया जा सकता है एवं कार्यरत 25 Peon / Night Guard को 1–1 राज्य के 24 जिलों में तथा 1 राज्य परियोजना कार्यालय को स्थानान्तरित (पद सहित) किया जा सकता है ।

(ग) **प्रत्यार्पण**

1. Assistant Accountant - एसएसए के तहत 18 जिलों में सहायक लेखापाल का पद स्वीकृत नहीं है तथा शेष 6 डी0पी0ई0पी0 जिलों में 2–2 पद स्वीकृत है । अतः कुल 12 सहायक लेखापाल के पद के विरूद्ध मात्र 3 कार्यरत हैं । कार्यरत पदों को छोड़कर शेष 9 पद प्रत्यार्पित किया जा सकता है ।
2. राज्य में डी0पी0ई0पी0 6 जिलों में संचालित थे एवं उसकी संरचना राज्य के शेष 18 जिलों से भिन्न हैं । इन 6 जिलों में Assistant cum Store Keeper, Purchase Assistant, Steno, Typist का क्रमशः 6, 6, 6 एवं 12 कुल 30 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 17 कर्मी कार्यरत हैं । 13 रिक्त पदों में से 7 पद Legal Officer के रूप में परिवर्त्तित करते हुए शेष 6 पद को प्रत्यार्पित किया जा सकता है ।
3. राज्य के सभी जिलों में Assistant Engineer के दो–दो पद स्वीकृत हैं । वर्त्तमान समय में कार्य की अधिकता नहीं रह गई है । उक्त स्थिति में प्रत्येक जिले से Assistant Engineer के एक–एक पद को प्रत्यार्पित किया जा सकता है ।

(घ) **नई स्वीकृति**

1. Data Entry Operator – राज्य के 24 जिलों में से 18 जिलों में एसएसए संरचना के अनुरूप 2–2 कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद स्वीकृत है जबकि शेष 6 डी0पी0ई0पी0 जिलों में 1–1 पद स्वीकृत है । अतः राज्य के 18 जिलों में एसएसए संरचना में स्वीकृत 2–2 कम्पयूटर ऑपरेटर के पद के अनुरूप इन 6 जिलों में 1–1 अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति का निर्णय प्रार्थित है ।

कार्यावली बिन्दु संख्या 06, 07, एवं 08 का निर्णयः–

राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस हेतु एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा पुर्नगठन संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव की सराहना की गई एवं इस पर सहमति देते हुए निम्न निदेश दिये गये :–

i) आगामी कार्यकारिणी की बैठक में राज्य, जिला एवं प्रखण्ड कार्यालयों की संरचना/आवश्यकता का आकलन करते हुए सम्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।
ii) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अपने संस्थान के अधीन रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई करेगी ।
iii) प्रस्तावित पुनर्गठित संरचना के अन्तर्गत सभी पदों का कार्य एवं दायित्व का निर्धारण करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 09

प्रोजेक्ट साथ–ई के तहत् राज्य एवं जिला स्तर पर गठित पी.एम.यू. कोषांग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की सेवा लिये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

ज्ञानादेय योजना अन्तर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्गत संकल्प 1334 दिनांक 07.09.2017 के आलोक में नीति आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम को नियमित अंतराल पर मापने हेतु की गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विभागीय सचिव के अधीन एक Project Management Unit (PMU) के गठन किया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् के साथ समन्वय स्थापित कर शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार हेतु किये जा रहे उपायों एवं परिणामों का अनुश्रवण करेगा एवं सरकार को आवश्यक सलाह प्रदान करेगा, जिसके कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं–

a) राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित करना एवं SEQI के बारे में जानकारी लेना।
b) राष्ट्रीय एवं राज्य मूल्यांकन सर्वे की जानकारी भागीदारों को उपलब्ध कराना और इसके आयोजन में तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान करना।
c) U-DISE द्वारा वार्षिक आंकड़ा संग्रहण की प्रणाली का अध्ययन कर उसकी कमियों को दूर करना।
d) विद्यालयों एवं समुदाय द्वारा अपनाये जा रहे Good Practices का अभिलेखीकरण एवं उसकी प्रस्तुति करना।
e) समय–समय पर विभाग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

2. प्रत्येक वर्ष इस कोषांग पर प्रति वर्ष लगभग रू. 02.20 करोड़ का व्यय संभावित है। वित्तीय वर्ष 2017–21 तक तीन वर्ष छः माह के लिए पी.एम.यू. कोषांग के संचालन पर लगभग रू. 07.63 करोड़ संभावित है।

3. उपरोक्त तथ्य के आलोक में नीति आयोग–झारखण्ड सरकार–बी.सी.जी. के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर मंत्रिपरिषद द्वारा विभागीय संलेख 1712 दिनांक 12.12.2017 पर दिनांक 26.12.2017 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

247

<u>वस्तुस्थिति</u> :–

1. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञानोदय योजना अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत आउटसोर्सिंग के आधार पर निम्न पदों पर लोगों की सेवा ली जा रही है। पदों का आकलन Project SATH –e की आवश्यकता को देखते हुए बी.सी.जी. के सलाहकार के द्वारा किया गया है, जो निम्नवत् है :–

Sl. No.	Name of the Post	No. of the Post
1	Programme Officer	07
2	Design Manager	01
3	Analyst	02
4	Operator	17
5	Legal & Grievance Redressal Officer	02
6	PR Officer	02
7	District Level Fellow (@2 per district)	48
	Total	**79**

2. राज्य परियोजना निदेशक एवं बी.सी.जी. के प्रतिनिधियों के साथ उपरोक्त की सेवा प्राप्त करने के संबंध में वार्ता हुई और यह तय किया गया कि JAP-IT द्वारा Empanelled निम्न एजेन्सी के मार्फत् उक्त लोगों की सेवा 1 वर्ष (12 महीने) के लिए प्राप्त की जानी है:–

Sl. No.	Name of the Agencies
1	Luminious Infoways Pvt. Ltd.
2	SBC Exports Limited (SBC)
3	Fourth Dimension Solution Ltd.
4	Strategic Outsourcing Pvt. Ltd.
5	Rudranee Infotech Ltd.

3. इस हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की ओर से सभी 05 कंपनियों को आउटसोर्सिंग के आधार पर Manpowers की सेवा प्रदान करने हेतु उम्मीदवारों की CV के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध, पत्र के माध्यम से किया गया।

4. JAP-IT द्वारा कुल छः Vendors को Tier –I, Tier- II एवं Tier- III श्रेणी में रखते हुए विभिन्न पदों के लिए अलग–अलग Tier हेतु अलग–अलग दर प्रति माह तय किये गये हैं। BCG द्वारा तय सभी पद JAP-IT के Rate Contract में अंकित पदों से हूबहु Match नहीं करते हैं। ऐसे में निम्नांकित पदों को JAP-IT के Rate Contract में अंकित समतुल्य पदों से निम्नरूपेण Mapping किया गया जो निम्नवत् है :–

Sl. No.	Manpower required post in PMU	No. of position	Equivalent post in JAP-IT Rate Contract	Rate fixed in Rate Contract (per month) in Rs.		
				Tier-I	Tier-II	Tier-III
1	Programme Officer (07)	07	Project Co-ordinator (1.10301)	43,120/-	42,630/-	41,970/-
2	Design Manager (01)	01	Web Designer (1.10212)	35,280/-	34,330/-	32,900/-
3	Analyst (02)	02	Business Analyst/Domain Expert (1.10216)	44,100/-	40,000/-	36,900/-
			Quality Analyst-cum- Software Tester (1.10213)	37,240/-	36,260/-	34,592/-
4	Operator (17)	17	Data Entry Operator/Multi Tasking Staff (1.10606)	–	16,000/-	16,000/-
			IT Assistant (1.20101)	17,640/-	–	–
5	District Level Fellow (@2 per district)	48	Field Manager (1.10302)	40,180/-	32,000/-	30,528/-
			Software Trainer (1.10303)	33,000/-	29,000/-	27,666/-
	कुल पद	75				

*कार्यरत कर्मियों की सूची Vendor wise एवं Rate Contract wise अनुलग्नक।

5. आवश्यकता के सात पद में से 5 पदों पर उपर्युक्त Mapping के आधार पर JAP-IT के Empanelled Vendors से लोगों की सेवा प्राप्त करने हेतु Vendors द्वारा उपलब्ध करायें गये CVs के आधार पर एक Screening Committee के माध्यम से Candidates का Interview के साथ चयन किया गया। Screening Committee के पदाधिकारी/सदस्य निम्नवत हैं:–

1. राज्य परियोजना निदेशक –अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के एक नामित प्रतिनिधि –सदस्य
3. CEO, JAP-IT के एक नामित प्रतिनिधि –सदस्य
4. SIO, NIC, झारखण्ड के एक नामित प्रतिनिधि –सदस्य
5. श्रीमति पारुल शर्मा, शिक्षा विशेषज्ञ,UNICEF –सदस्य
6. BCG प्रतिनिधि –सदस्य

6. सात में से 5 पदों के विरुद्ध कुल 75 कर्मियों की सेवा JAP-IT के Rate Contract के आधार पर अलगे 12 महीनों के लिए Hire करने पर लगभग 3. 20 करोड़ रुपयें का कुल अनुमानित व्यय होगा। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, के समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत PMU के लिये कुल 60 लाख की स्वीकृत दिये गये है, जिसे Developer एवं PMU के लिये आवश्यक Hardware पर व्यय किये जाने का निर्णय पूर्व में ही लिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार

(245)

के 'ज्ञानोदय' योजना अंतर्गत PMU शीर्ष के उक्त राशि (3.20 करोड़) उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकता है।

उपर्युक्त 5 पदों के विरूद्ध कुल 75 कर्मियों में से वर्तमान में 49 कर्मी राज्य एवं जिला स्तर पर गठित PMU कोषांग में Outsourcing के माध्यम से कार्यरत हैं, जिसकी सूची अनुलग्नक 3 पर संलग्न है।

7. शेष तीन पदों PR Officer (2), Legal Officer (1) एवं Grievance Redressal Officer (1) पर चयन हेतु किसी अन्य विकल्प यथा RFP/Direct Interview पर निर्णय लिया जा सकता है।

अनिवार्य अर्हताः-

क्र.सं.	पद	पदो की संख्या	अनिवार्य अर्हता
1	Public Relation Officer	2	1. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय से Journalism या Mass Communication में स्नातक/ Public Relation in Marketting में स्नातक/संबंधित समकक्ष मान्यता प्राप्त अहता न्यूनतम 60% के साथ। 2. न्यूनतम 5 वर्षों का मीडिया प्रबंधन/ Journalism/ Public Relation में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करने का अनुभव। 3. कम्प्यूटर proficiency होना अनिवार्य है। 4. उच्चतम योग्यताधारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
2	Legal & Grievance Redressal Officer	2	1. BA, LLB degree from a recognized university/institute with a five-degree course or a post-graduate LLB of three-year duration from a recognized University/Institute (in case of a graduate holding degree of a course duration of thee years or less) 2. Should have a minimum of 3-4 years of work experience, preferably with a substantial portion in litigation related matters and or managing litigation in other large organization, experience in working with Govts, PSUs will be give priority.

प्रस्ताव-1: राज्य एवं जिला स्तर पर गठित PMU कोषांग में Outsourcing के माध्यम से JAP-IT के Rate Contract के आधार पर अलगे 12 महीनों के लिए कुल 75 कर्मियों की सेवा लेने पर राज्य कार्यकारिणी समिति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है।

प्रस्ताव-2: शेष दो पदों Public Relation Officer के कुल 2 पद, Legal Officer के 1 पद एवं Grievance Redressal Officer के 1 पदों के चयन पर राज्य कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णयः—

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निदेशित किया गया कि :—

i) उक्त प्रस्ताव झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् से संबंधित नहीं है । अतः इसे एस.एस.जी. के बैठक में रखने का निदेश दिया गया ।

ii) जिन पदों पर चयन नहीं किया गया है, उन पदों पर अब चयन नहीं किया जाय ।

iii) आवश्यक पद को झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के पुनर्गठित संरचना में संलग्न किये जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 10

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सहायक कम्प्यूटर प्रोगामर की सीधी भर्ती हेतु रोस्टर पंजी पर अनुमोदन के संबंध में

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, रांची के संकल्प संख्या 1072 दिनांक 17.02.2009 एवं संकल्प संख्या 1433 दिनांक 15.02.2019 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु आदर्श रोस्टर के अनुसार पद आधारित रोस्टर पंजी तैयार की गई जिसका विवरणी निम्न है :—

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

Category	Sanctioned Post - 24		Total Working – 18		Vacant – 06	
	Total Seat	Roster No.	Total Seat	Roster No.	Total Seat	Roster No.
UR	10	1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19	9	1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19	1	23
ST	6	2, 8, 10, 14, 18. 22	3	2, 8, 10	3	14, 18, 22
SC	3	6, 16, 24	1	6	2	16, 24
BC-I	2	4, 20	2	4, 20	NIL	
BC-II	1	12	1	12	NIL	
EWS	2	11, 21	2	11, 21	NIL	
Total	**24**		**18**		**6**	

2. सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी

Category	Sanctioned Post - 25		Total Working – 17		Vacant – 08	
	Total Seat	Roster No.	Total Seat	Roster No.	Total Seat	Roster No.
UR	11	1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25	11	1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25	NIL	
ST	6	2, 8, 10, 14, 18. 22	1	2	5	8, 10, 14, 18, 22
SC	3	6, 16, 24	1	6	2	16, 24
BC-I	2	4, 20	2	4, 20	NIL	
BC-II	1	12	NIL		1	12
EWS	2	11, 21	2	11, 21	NIL	
Total	**25**		**17**		**8**	

(243)

कार्यरत कर्मियों से संबंधित विवरण अनुलग्नक 4 एवं 5 पर संलग्न । उक्त रोस्टर पंजी पर राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णय:—

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि :—

i) **झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् में पदों का पुनर्गठन के क्रम में उपर्युक्त पदों को शामिल करते हुए कार्रवाई की जाय ।**

ii) **मानव बल के चयन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सम्बद्ध ऐजेंसी एडसिल, नई दिल्ली का सहयोग लिया जा सकता है ।**

कार्यावली बिंदु संख्याः 11

वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वंय सहायता समूह एवं डी.बी.टी. के अतिरिक्त रह गये बच्चों को पोशाक विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में

सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 5 के बच्चों को 2 सेट पोशाक 1 स्वटेर एवं 1 सेट जूता–मोजा तथा कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 2 सेट पोशाक एवं 1 स्वटेर समग्र शिक्षा में स्वीकृत राशि रू. 600/– से एवं एक सेट जूता–मोजा विद्यालय किट की राशि से स्वंय सहायता समूह एवं डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । झारक्राफ्ट से भी पोशाक आपूर्त्ति का अनुरोध किया गया है । वित्तीय वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के कुल 3376853 बच्चों के लिए कुल रू. 20261.12 लाख की स्वीकृति प्राप्त है । उक्त आलोक में सभी जिलों को उनकी स्वीकृत राशि उपलब्ध करा दी गई है । जिलों द्वारा स्वंय सहायता समूह एवं डी.बी.टी. के माध्यम से पोशाक एवं अन्य सामग्री हेतु बच्चों के खाते में राशि उपलब्ध करा दी गई है लेकिन कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को बैंकों में खाता नहीं खुलने के कारण उन्हें डी.बी.टी. से राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है । साथ ही, सभी जिलों में स्वंय सहायता समूह भी कार्य करने की स्थिति में नहीं है । भारत सरकार से मार्च माह में राशि की प्राप्ति होने के कारण इस माह में सभी बच्चों को डी.बी.टी./स्वंय सहायता समूह से समय पर पोशाक एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराया जाना जिलों द्वारा संभव प्रतीत नहीं हो रहा है ।

उपर्युक्त स्थिति में वित्तीय वर्ष 2018–19 में वैसे बच्चों को जिन्हें स्वंय सहायता समूह या डी.बी.टी. के माध्यम से पोशाक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । उन बच्चों को समय पर पोशाक उपलब्ध कराने के लिए पूर्व की भांति विद्यालय प्रबंध समिति को राशि उपलब्ध कराते हुए उनके माध्यम से 2 सेट पोशाक 1 स्वटेर एवं 1 सेट जूता–मोजा क्रय कर बच्चों को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति का निर्णय प्रार्थित है ।

निर्णय:—

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का बैंक में खाता खोलना एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी पुष्टि कल्याण विभाग द्वारा भी की गई । अपवाद स्वरूप वैसे विद्यार्थियों को जिन्हें स्वंय सहायता समूह के माध्यम से पोशाक या डी.बी.टी. के माध्यम से पोशाक एवं अन्य सामग्रियाँ के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, वैसे विद्यार्थियों को पोशाक एवं अन्य सामग्रियों

का क्रय पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली बिंदु संख्याः 12

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंकेक्षित लेखा वर्ष 2017–18 का अनुमोदन

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित कार्यक्रमों के आय–व्यय का अंकेक्षण सनदी लेखाकार फर्मों से प्रतिवर्ष कराया जाता है। अंकेक्षण के उपरांत अंकेक्षण प्रतिवेदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं संलग्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्ति एवं व्यय का अंकेक्षण राज्य कार्यकारिणी की 47वीं बैठक की कार्यावाली संख्या 10 दिनांक 06.10.2016 से अनुमोदित सनदी लेखाकार फर्मों से राज्य एवं जिला कार्यालय का अंकेक्षण कार्य कराया गया।

जिलों के लिए नियुक्त अंकेक्षकों से वित्तीय लेखे प्राप्त कर राज्य स्तर पर अग्रणी अंकेक्षक M/s Rajesh Srivastava & Co. से समेकित कराते हुए आगामी राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित कराये जाने की प्रत्याशा में प्रतिवेदन को ससमय उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी माध्यमिक शिक्षा अभियान का अनुमोदन प्राप्त कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया जा चुका है।

तत्कालीन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (अन्य कार्यक्रमों सहित) कार्यक्रमों से संबंधित अंकेक्षित लेखा वर्ष 2017–18 (अनुलग्नक–6) पर राज्य कार्यकारिणी का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णयः–

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निदेश दिया गया कि :–

i) **TDS की राशि सूद सहित codal provisions के तहत दिनांक 29.03.2019 तक अवश्य जमा किया जाय ।**

ii) **एक स्वतंत्र CA, जो Audit में involve नहीं है, CAG empanelled एवं अनुभवी हों, उससे compliance का सत्यापन दिनांक 10 मई, 2019 तक पूर्ण कराये ।**

iii) **दोषी कर्मियों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के आधार पर कम से कम एक विभागीय जाँच पदाधिकारी का चयन कर इसे गति दिया जाय ।**

अन्यान्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

अन्यान्य कार्यावली बिंदु संख्याः 01

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् में नियोजन प्रक्रिया

(241)

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अंतर्गत कार्यालयों में विभिन्न पदों पर चयन हेतु राज्य सरकार से रोस्टर पंजी के अनुमोदनोपरांत दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये जाते हैं । प्राप्त आवेदन के अनुसार लिखित/मौखिक अन्तर्वीक्षा आयोजित की जाती है । लिखित परीक्षा के आयोजन के क्रम में किसी तृतीय संस्थान का चयन किया जाता है जिनके द्वारा पदवार लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न–पत्र तैयार करना, परीक्षा का आयोजन करना, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अंक प्रदान करने तक की जवाबदेही दी जाती है । मौखिक अन्तर्वीक्षा के लिए झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की एक चयन समिति गठित है जो लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का मौखिक अन्तर्वीक्षा आयोजित करती है । लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर रोस्टर के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाती है । लिखित एवं मौखिक परीक्षा के लिए 70:30 के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाती है । राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के उपरांत अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है ।

पदवार न्यूनतम ऐच्छिक अहर्त्ता निम्न प्रकार निर्धारित है :–

Post Code	Name of Post	Minimum Qualification	Desirable experience / preference for post
01	Senior Expert Teacher's Training	Master degree with minimum 55% marks with M.Ed. degree.	Minimum 5 years experience in the field of teacher's training /research in education field.
02	Expert education	Master degree with minimum 55% marks & B.Ed. with first class from recognized university.	Minimum 5 years experience in the field of education including curriculum development/Material Production/Action Research.
03	Expert Women & Child Welfare (Reserved for women)	Master degree with minimum 55% marks from recognized university and P.G. Degree or Diploma in Nutrition & Child Care from recognized university.	Minimum 5 years experience in the field of Gender/Women Empowerment child nutrition program at any highly reputed Organization/ Institution
04	Executive Engineer	B.E. (Civil)	(1) Minimum 5 years experience of work as Executive Engineer or in the scale of Executive Engineer in the government department. Person working as Civil Engineer in any Board/Corporation/ Govt. undertaking
05	Finance Controller	M.Com, with MBA Finance or C.A. from recognized University.	At least 10 years experience in Central/ State Govt. Organization/ CAG/ AG Office or in any Govt. or Semi Govt. Organization undertaking retired person of AG office in grade Pay of 7600/- may also apply
06	Expert Tribal Education	Master degree in any tribal languages (Ho, Kharia, Khortha, Kurmali Kurukh, Mundari, Nagpuria, Panch- Pargania, Santhali) with 55% from recognized university	Minimum 5 years teaching experience /Research in Tribal Languages.
07	Additional Finance Controller	M.com with 55% marks with ICWA/CA/CS- (Inter level)	Minimum 5 years experience in Finance and Accounts Service Central/ State Government/Autonomous/reputed organization/ Institution.
08	Additional District Programme Officer	Master degree with minimum 55% marks from recognized university.	Preference will be given to person having Master in Social Science/Humanities/Education/Rural development or having minimum 3 years experience of work at any reputed Institution/ Organization/State Government/Central Government.
09	Assistant Engineer	B.Tech. in Civil Engineering from recognized Institution with minimum 55% marks.	Minimum 3 years experience at any reputed Institution/ Organization/ State Government/Central Government / Semi Government Institution for supervising building construction.
10	Joint Administrative Officer	Bachelor degree with minimum 55% marks	Preference will be given to MBA (HR) /LLB degree holder having 2 years experience of

Post Code	Name of Post	Minimum Qualification	Desirable experience / preference for post
		from recognized university.	Administration at any reputed Institution/ Organization/State Government/Central Government having knowledge of Government rules & regulation.
11	Account Officer	Bachelor in Commerce with minimum 55% marks from recognized university.	Preference will be given to person completed CA/ICWA/CS-Inter level with 3 years experience in the field of Accounting in any reputed Govt./Semi Govt. Institution /firm/ Organization.
12	Assistant Programme Officer	Bachelor degree with minimum 55% marks from recognized university.	Preference will be given to person having Master degree in Social Science/Humanities/Education/Rural development or having minimum 3 years experience of work at any reputed Institution/ Organization/State Government/Central Government.
13	Computer Programmer	1. BCA with PG in Computer Science/ I.T./ Information Management or 2. MCA or 3. MIT or 4. B.E./B.Tech. in Computers/IT/ E&C / from any recognized university.	Minimum 3 years experience in the field of software development/ DBA/Oracle programming in any reputed institution /organization/ State Govt./ Central Govt.
14	Assistant Computer Programmer	1. BCA or 2. Graduation with minimum 55% marks with one year P.G. Diploma in Computer Application / Information Management from any recognized university.	(Minimum one year experience in the field of DBA/ Oracle/ Programming.) in any reputed institution /organization/ State Govt./ Central Govt. office.
15	Senior Auditor	B.Com. with minimum 55% marks from recognized university.with CA-Inter level	10 years experience in any Government/ semi Gvernment/ AG/CAG Office/ Board/ Corporation
16	Auditor	B.Com. with minimum 50% marks from recognized university.with CA-Inter level.	A person having completed 3 years article ship training under CA and 2 years post qualification experience in the field of accounting & auditing
17	Stenographer-cum-Computer Operator	Graduation from any recognized university with 45 % marks. Shorthand Hindi- 80 wpm& English-100 wpm, Typing -Hindi -40 wpm and English- 45 wpm with full knowledge of Computer application.	Preference will be given to Candidates knowing bilingual shorthand & Typing and meeting the mentioned speed requirement with 2 years working experience at any reputed Institution/ Organization/State Government/Central Government.
18	Computer Operator	Graduation with 45% marks and one year Diploma Course in Computer science or Computer application. Typing -Hindi -40 wpm and English- 45 wpm with full knowledge of Computer application.	Minimum one year experience in Computer Operation / Programming at any reputed Institution/ Organization/State Government/Central Government/State/ Central undertakings.

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् में लघुकालीन संविदा के आधार पर सेवाएँ लेने के लिए एकरारनामा में निम्न का उल्लेख किया जाता है :–

1. देय मासिक परिलब्धि का विवरण ।

(239)

2. संविदा की अवधि के समाप्ति के पूर्व बिना कोई कारण बताये भी एक माह की अग्रिम सूचना या उसके बदले एक माह का वेतन देकर संविदा को समाप्त किया जा सकता है ।
3. यदि संविदा की अवधि के पूर्व किसी अप्रत्याशित या अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम बंद हो जाता है तो उसके साथ यह संविदा भी समाप्त हो जायेगी ।
4. परियोजना में मिशन पद्धति से कार्य करते हैं । इसमें लक्ष्य प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाती है, इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील रहेंगे ।

राज्य कार्यकारिणी समिति के सूचनार्थ उपस्थापित ।

निर्णय:—

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

अन्यान्य कार्यावली बिंदु संख्याः 02

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के Service Regulation के Chapter X General Conditions Of Service की कंडिका 47 में कर्मियों के स्थानांतरण के लिए निम्न का उल्लेख किया गया है :—

"No employee of the Parishad may ordinarily be transferred from one place to another, provided that in exceptional and unavoidable circumstances the State Project Director may transfer an employee"

उपर्युक्त के आलोक में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा समय–समय पर जिले में कार्यरत पदाधिकारियों का (जिनका राज्य स्तर से चयन किया गया है) स्थानांतरण किया जाता रहा है । जिला स्तर पर चयनित कर्मियों का समय–समय पर स्थानांतरण जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाता है ।

राज्य कार्यकारिणी समिति के सूचनार्थ उपस्थापित ।

निर्णय:—

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निदेशित किया गया कि राज्य सरकार के नियमानुसार कोई भी पदाधिकारी/कर्मी प्रमण्डल स्तर में अधिकतम छह वर्ष की सेवा एवं जिला स्तर में अधिकतम तीन वर्ष की सेवा अवधि में रह सकेंगे । उपर्युक्त के आधार पर झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एक स्थानांतरण नियमावली तैयार कर उसके अनुरूप कार्रवाई करे ।

अन्यान्य कार्यावली बिंदु संख्याः 03

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों के लिए अनुशासनिक प्रक्रिया के संबंध में

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के Service Regulation के Chapter XII Discipline की कंडिका 51 एवं 52 में कर्मियों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु निम्न का उल्लेख किया गया है :—

51. Suspension

1. The appointing authority or any other authority superior thereto may place an employee under suspension.
   a) Where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
   b) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial.
2. An employee who is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty eight hours shall be deemed to have been suspended with effect from the date of his detention by an order of the appointing authority and shall remain under suspension until further orders.
3. An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be revoked by the authority which made it or is deemed to have made it or by any superior authority.

52. Penalties

The following penalties may for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on an employee:

a) Minor penalties :
   i Censure
   ii Withholding of annual incremental emoluments/increment with cumulative or non-cumulative effect.
   iii Withholding of promotion.
   iv Recovery from emolument/pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Parishad by negligence or breach of the rules of regulations of the Parishad or orders or directions of superior authorities.

b) **Major penalties**
   i) reduction to a lower stage in a time scale or to a lower grade or post
   ii) Compulsory retirement;
   iii) removal or dismissal from service.

राज्य कार्यकारिणी समिति के सूचनार्थ उपस्थापित ।

निर्णयः—

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सूचना ग्रहण की गई ।

अन्यान्य कार्यावली बिंदु संख्याः 04

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के **PFMS Unit** को मजबूत करने के संबंध में

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् राज्य जिला प्रखण्ड एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्तर पर सभी प्रकार के व्यय/राशि अंतरण PFMS के माध्यम से Direct Benefit Transfer (DBT)/Expenditure , Advacnce and Transfer (EAT) किया जा रहा है । यह विधि धीरे–धीरे राज्य स्तर पर बढ़ाई जा रही है और जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर उसी अनुरूप राशि अंतरण के मामले कम होते जायेंगे । आवश्यकतानुसार जिलों से लेखा कर्मियों की सेवा इस कार्य के लिए राज्य कार्यालय में लिया जा रहा है । भविष्य में कार्य बोझ को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार जिलों से लेखा कर्मियों की अतिरिक्त सेवा ली जायेगी ।

राज्य कार्यालय में डी.बी.टी. सेल गठित है । धीरे–धीरे सभी प्रकार की राशि राज्य कार्यालय से सभी संबंधित को सीधे उनके खाते में अंतरित कराये जाने को प्रक्रियाधीन किया जा रहा है । राज्य कार्यालय के डी.बी.टी. सेल से विभागीय निदेश के अनुरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित राशि का डी.बी.टी. भी किया जायेगा ।

इसके लिए सभी स्तरों पर प्रायः प्रशिक्षण दिया जा रहा है । सभी कार्यक्रमों को पोर्टल से जोड़ने के लिए वित्त विभाग, झारखण्ड से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । आवश्यकतानुसार इसके लिए कम्प्यूटर उपकरणों एवं मानवबल को सुदृढ़ करने पर राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है ।

(237)

निर्णयः—

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न निदेश दिया गया :—

i) **पी.एफ.एम.एस. यूनिट को सुदृढ़ किया जाय ।**
ii) **कई बैंकों द्वारा पी.एफ.एम.एस. की सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जा रही है । साथ ही साथ, सॉफ्टवेयर एवं मानव बल की सुविधा भी बिना किसी शुल्क के दी जा रही है । ऐसे बैंकों से कार्य लिया जा सकता है ताकि पी.एफ.एम.एस. ईकाई और सुदृढ़ हो सके ।**
iii) **संबधित बैंकों की सुविधा लेने पर वित्त विभाग के संगत दिशा—निदेशों को दृष्टि में रखा जाय।**

अन्यान्य कार्यावली बिंदु संख्याः 05

कार्यक्रमों के अनुश्रवण के संबंध में भावी प्रबंध के संबंध में

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् राज्य जिला प्रखण्ड एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं अन्यान्य स्तरों पर स्वीकृत बजट के विरूद्ध भौतिक एवं वित्तीय कार्यों का निस्तारण कराया जाता है । कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय गहन अनुश्रवण हेतु निम्नवत् कार्रवाई अपेक्षित होगी :—

1. सभी प्रकार के आँकड़ों का ई—विद्यावाहिनी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा । इन आँकड़ों की समीक्षा कर यथोचित कार्रवाई सभी स्तरों पर नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से की जायेगी ।
2. आँकड़ों के आधार पर कार्यक्रम के उपलब्धि अथवा वित्तीय व्यय के कम होने, गुणवत्त शिक्षा की वृद्धि के लिए संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी के विरूद्ध उनके नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से तत्काल कार्रवाई की जायेगी ।
3. कार्यक्रमों की उपलब्धि की समीक्षा कार्यक्रम प्रभाग प्रभारी, वित्तीय उपलब्धि की समीक्षा वित्त प्रभाग एवं असैनिक निर्माण कार्यों की समीक्षा असैनिक प्रभाग के द्वारा करते हुए उपलब्धि से संबंधित आँकड़ों से अपने वरीय पदाधिकारियों को सम्यक निर्णय लेने हेतु मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जायेंगे ।
4. वित्तीय विचलन, गबन, न्यायिक विवाद के मामलों का निस्तारण संज्ञान में आने एक माह के अंदर किये जायेंगे ।

उपर्युक्त प्रक्रिया पर राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णयः—

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मुख्य सचिव—सह—अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निम्न निदेश दिये गये :—

1. **झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा किये जा रहे कार्यों का दस्तावेजीकरण (Documentation) कराया जाय । साथ हीं साथ Success Story के भी अभिलेख तैयार किये जाय । उनका मुद्रण कराकर व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाय । साथ हीं साथ इसे पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाय ।**

2. यूनीसेफ, राँची को पत्र लिखते हुए अनुरोध किया जाय कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को तकनीकी सहयोग हेतु आवश्यक मानवबल (विशेषकर procurement expert) उपलब्ध कराया जाय ।
3. जीरो ड्रॉप आउट पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाय एवं प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कैसे आगे बढ़ाया जाय इसपर विस्तृत प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।
4. साक्षर पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाय एवं प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निदेशक, प्राथमिक के साथ समन्वय कर प्रस्ताव तैयार किया जाय । इसपर विस्तृत प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।
5. विभिन्न कार्यक्रमों में सामाजिक अंकेक्षण के प्रतिफल एवं बच्चों के सीखने के प्रतिफल की प्रगति से अवगत कराया जाय ।
6. असर एवं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में प्राप्त सीखने के प्रतिफल के आधार पर **Asspirational District** एवं **Key Performance Indicator** की उपलब्धि की स्थिति का भी उल्लेख आगामी बैठक में किया जाय ।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

30/03/19

(उमा शंकर सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक–सह–
सदस्य सचिव, राज्य कार्यकारिणी समिति,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची

30/03/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

(सुधीर त्रिपाठी)
मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष,
राज्य कार्यकारिणी समिति,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची

235

अनुलग्नक – क'

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची

राज्य कार्यकारिणी समिति की 53वीं बैठक दिनांक 25.03.2019 की सदस्यों की उपस्थिति

1. मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी
2. प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची
3. सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची
4. सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची
5. निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, झारखण्ड, राँची
6. निदेशक (पी.एम.यू), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची
7. उप–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची
8. मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एच.एम., झारखण्ड, राँची
9. उप–सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची
10. राज्य सूचना पदाधिकारी, एन.आई.सी. झारखण्ड, राँची
11. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नई दिल्ली
12. चेयरमैन, एस.सी.पी.सी.आर., झारखण्ड, राँची
13. डा0 राम सिंह, प्राचार्य, डी.पी.एस., राँची
14. राज्य परियोजना निदेशक, झा.शि.परियोजना परिषद्